<u>बिन्दु–बारह</u>

सब्सिडी कार्यक्रमों के निष्पादन का प्रबंध

(अ) राष्ट्रीय योजनाएं

1. <u>स्मार्ट सिटी मिशन</u>

1.1 भारत सरकार द्वारा 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी मिशन प्रारंभ किया गया है, जिसके अन्तर्गत प्रतिस्पर्धा के आधार पर 100 शहरों का चयन किया जाना था। स्मार्ट सिटी मिशन का मुख्य उद्वेश्य शहरों का समुचित विकास, आर्थिक सुधार तथा नागरिक के जीवन शैली में सुधार तथा क्षेत्रीय विकास है।

1.2 भारत सरकार द्वारा आयोजित प्रतिस्पर्धा अंतर्गत प्रथम राउंड में प्रदेश के 3 शहरों **भोपाल, इन्दौर, जबलपुर** का चयन जनवरी 2016 में, द्वितीय राउंड में सितम्बर 2016 में **ग्वालियर** एवं **उज्जैन** व तृतीय राउंड में **सतना एवं सागर** का चयन जून 2017 में हुआ है। मध्यप्रदेश से कुल 07 शहर स्मार्ट सिटी परियोजना में सम्मिलित है।

1.3 स्मार्ट सिटी परियोजना अंतर्गत प्रत्येक शहर को 1000 करोड़ की SCM ग्रांट उपलब्ध करायी जाना हैं जिसमें 500 करोड़ केन्द्र शासन से एवं 500 करोड़ मैंचिंग ग्रांट के रूप में राज्य शासन द्वारा दिये जाना है। स्मार्ट सिटी गाइडलाईन प्रावधान अंतर्गत कुल केन्द्रांश राशि का 2 प्रतिशत के मान से कुल राशि रू. 10.00 करोड़ A&OE (ऑफिस एवं प्रशासनिक व्यय) अंतर्गत कटौता कर कुल केन्द्रांश राशि रू. 490. 00 करोड़ शहर को प्राप्त होगी। इस प्रकार राशि रू. 990.00 करोड़ में राशि रू. 940.00 करोड़ प्रोजेक्ट फंड एवं राशि रू. 50.00 करोड़ A&OE (ऑफिस एवं प्रशासनिक व्यय) का प्रावधान स्मार्ट सिटी शहरों हेतु किया गया है।

1.4 स्मार्ट सिटी के सुचारू संचालन एंव मॉनिटरिंग हेतु मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में हाई पॉवर स्टेरिंग कमेटी का गठन किया गया है तथा शहर स्तर पर भारत सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन में दिये गये निर्देश अनुसार **स्पेशल पर्पस व्हीकल्स (एसपीवी)** का गठन किया गया है। एसपीवी के अध्यक्ष जिले के कलेक्टर, कार्यपालक संचालक–नगर निगम के आयुक्त तथा प्रत्येक शहर में मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) भी नियुक्त किये गये है। एसपीवी अर्न्तगत अन्य मनोनीत अधिकारीयों में चीफ प्लानर, चीफ फॉयनेंस ऑफिसर, प्रबंधक ई गवर्नेन्स अधिकारी, कंपनी सेक्रेटरी, अधीक्षण यंत्री आदि को शामिल किया गया है।

1.5 स्मार्ट सिटी मिशन का क्रियान्वयन सुनियोजित कार्ययोजना अन्तर्गत किया जा रहा है, योजना अंतर्गत प्रावधानित स्मार्ट सिटी ग्रांट फंड के परिपेक्ष्य में कुल नियोजित (Planned) 639 प्रोजेक्ट राशि रू. 6894. 85 करोड़ में से कुल 478 प्रोजेक्ट लागत राशि रू. 4112.76 करोड़ के पूर्ण (Complete) हो चुके है, 161 प्रोजेक्ट्स राशि रू. 2782.09 के कार्य प्रचलन (On-going) में है।

1.6 सभी स्मार्ट सिटी शहरों में **कमांड एंड कंट्रोल सेंटर** का निर्माण किया जा चुका है। **कोविड–19 महामारी के दौरान कमांड एंड कंट्रोल सेंटर द्वारा महामारी की रोकथाम एवं बचाव से संबंधित कार्य एवं समन्वय के लिये राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय कॉल सेंटर के रूप में प्रभावशाली कार्य किया गया।**

1.7 स्मार्ट सिटी मिशन के **''इण्डिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कनटेस्ट 2020''(ISAC-2020)** तहत मध्यप्रदेश राज्य को राज्यों की श्रेणी मे दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है तथा प्रदेश के 05 शहरों को उनके द्वारा क्षेत्र मे किये गए उत्कृष्ट कार्य के आधार पर 20 अवार्ड श्रेणीयों मे कुल 11 अवार्ड प्राप्त हुये है। जिनमें से **इंदौर** को बिल्ट–एनवायरनमेंट, सनिटेशन, इनोवेशन, इकॉनमी व कल्चर थीम के साथ राउंड–1 शहरों की श्रेणी में तथा ओवर–ऑलपरफॉर्मेंस वाले शहर के रूप में कुल 07 पुरुस्कार प्राप्त हुए हैं। **भोपाल** को अर्बन एनवायरनमेंट थीम अंतर्गत क्लीन एनर्जी हेतु प्रथम पुरुस्कार प्राप्त हुआ है। **जबलपुर** को राउंड–1 शहरों की श्रेणी में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। **ग्वालियर** शहर को डिजिटल म्यूज़ियम के लिए कल्चर थीम अंतर्गत तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। **सागर** शहर को राउंड– 3 शहरों की श्रेणी में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है।

2.1 स्मार्ट सिटी योजना क्रियान्वयन की शहरवार प्रगति–

भोपाल स्मार्ट सिटी योजनांतर्गत पब्लिक बाइक शेयरिंग, स्मार्ट रोड, बुलेवर्ड स्ट्रीट, स्मार्ट पोल एवं स्मार्ट एलईडी लाईट, शासकीय आवास का निर्माण, युवाओं के स्कील डेवलपमेंट हेतु स्टार्टप के लिये इनक्युबेशन सेंटर का निर्माण एवं क्रियान्वयन, पुरातत्व धरोहर संरक्षण (सदर मंजिल) आदि अंतर्गत 70 प्रोजेक्ट्स लागत राशि रू. 1032.58 करोड़ के कार्य पूर्ण हो चुका है। SCM ग्रांट अंतर्गत समस्त राशि का उपयोग किया जा चुका है।

इंदौर स्मार्ट सिटी योजनांतर्गत स्मार्ट रोड, पुरातत्व धरोहर संरक्षण गोपाल मंदिर, हरि राव होल्कर छत्री, राजवाड़ा, रिवरफ्रंट डेवलपमेंट–चंद्रबाग ब्रिज से हरसिद्धि ब्रिज, जिन्सी हाट बाजार का पुर्नविकास, गारबेज ट्रांसफर स्टेशन का निर्माण कार्य, शासकीय विद्यालयों में स्मार्ट क्लास रूम, अन्डर ग्राउण्ड केबलिंग स्टार्टप के लिये इनक्युबेशन सेंटर का निर्माण आदि अंतर्गत 167 परियोजनाओं लागत राशि रू. 972.55 करोड़ के कार्य पूर्ण हो चुका है। 2 प्रोजेक्ट लगभग लागत राशि रू. 23.95 करोड़ के कार्य प्रचलन में है। SCM ग्रांट अंतर्गत समस्त राशि का उपयोग किया जा चुका है।

जबलपुर स्मार्ट सिटी योजनांतर्गत स्मार्ट क्लास रूम, स्टार्टप के लिये इनक्युबेशन सेंटर, मल्टीलेवल पार्किंग, नॉन मोटेराइज्ड व्हीकल क्षेत्र का निर्माण, भंवर ताल गार्डन का पुर्नविकास, गुलउआ तालाब का विकास एवं म्युजिकल फाउटेन का निर्माण, धरोहर संरक्षण अंतर्गत कमानिया गेट एवं घंटाघर का कार्य आदि कार्य पूर्ण किये गये है। स्मार्ट रोड, स्मार्ट पोल एवं एलईडी लाईट रानीताल लेक डेवलपमेंट आदि के कार्य प्रचलन में है। 83 परियोजनाओं लागत राशि रू. 486.03 करोड़ के कार्य पूर्ण हो चुके है। 32 प्रोजेक्ट लगभग लागत राशि रू. 456.71 करोड़ के कार्य प्रचलन में है।

ग्वालियर स्मार्ट सिटी योजनांतर्गत पार्कों का पुर्नविकास एवं सौन्दर्यीकरण, स्मार्ट क्लास रूम, शासकीय बिल्डिंग में सोलर रूफ टॉप, मल्टीलेवल पार्किंग, पुरातत्व धरोहर संरक्षण अंतर्गत मोतीमहल का रिस्टोरेशन आदि कार्य पूर्ण किये गये है। स्मार्ट रोड, स्मार्ट पोल एवं एलईडी लाईट, स्टार्टप के लिये इनक्युबेशन सेंटर आदि के कार्य प्रचलन में है। 41 परियोजनाओं लागत राशि रू. 390.43 करोड़ के कार्य पूर्ण हो चुके है। 11 प्रोजेक्ट लगभग लागत राशि रू. 550.66 करोड़ के कार्य प्रचलन में है।

उज्जैन स्मार्ट सिटी योजनांतर्गत स्मार्ट क्लास रूम, स्मार्ट एलईडी लाईट, ओलपिक साईज स्वीमिंग पूल का निर्माण आदि कार्य पूर्ण किये गये है। महाकाल रूद्र सागर विकास परियोजना अंतर्गत महाकाल मंदिर के आस–पास के क्षेत्र का विकास, स्मार्ट रोड, सोलर रूफ टॉप, स्टार्टप के लिये इनक्युबेशन सेंटर आदि के कार्य प्रचलन में है। 43 परियोजनाओं लागत राशि रू. 652.48 करोड़ के कार्य पूर्ण हो चुके है। 43 प्रोजेक्ट लगभग लागत राशि रू. 353.99 करोड़ के कार्य प्रचलन में है।

सागर स्मार्ट सिटी योजनांतर्गत स्मार्ट क्लास रूम, पार्कों का पुर्नविकास एवं सौन्दर्यीकरण, जंक्शन चौराहों का विकास आदि कार्य पूर्ण किये गये है। लाखा बंजारा लेक का पुर्नविकास एवं लेक फ्रंट

डेवलपमेंट, स्मार्ट रोड, स्टार्टप के लिये इनक्युबेशन सेंटर आदि के कार्य प्रचलन में है। 46 परियोजनाओं लागत राशि रू. 384.26 करोड़ के कार्य पूर्ण हो चुके है। 29 प्रोजेक्ट लगभग लागत राशि रू. 651.52 करोड़ के कार्य प्रचलन में है।

सतना स्मार्ट सिटी योजनांतर्गत स्मार्ट क्लास रूम, स्मार्ट एलईडी लाईट आदि कार्य पूर्ण किये गये है। लेक नेकटर विकास परियोजना, साइकिल ट्रेक, स्टार्टप के लिये इनक्युबेशन सेंटर आदि के कार्य प्रचलन में है। 28 परियोजनाओं लागत राशि रू. 194.43 करोड़ के कार्य पूर्ण हो चुके है। 44 प्रोजेक्ट लगभग लागत राशि रू. 745.36 करोड़ के कार्य प्रचलन में है।

2. अमृत मिशन

2.1 भारत सरकार, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 25 जून 2015 को एक लाख से अधिक की जनसंख्या वाले शहरों में अधोसंरचना विकास हेतु अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) का शुभारम्भ किया गया है।

2.2 मिशन के अंतर्गत प्राथमिक रूप से शहरों में परिवारों को बुनियादी सेवायें (अर्थात जलापूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन, पार्क आदि) उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अधोसंरचना का सृजन किया जा रहा है, जिससे विशेष रूप से गरीबों और वांचितों सभी के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है।

2.3 प्रदेश में मिशन शहरों के अंतर्गत नागरिकों की सुविधा के लिए अमृत मार्गदर्शिका के अनुसार विभिन्न सर्विस लेवल बेंच मार्क प्राप्त किया जाना ।

2.4 अमृत परियोजना के घटकों में क्षमता निर्माण, शहरी सुधार कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, जलापूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन, वर्षा जल निकासी, शहरी परिवहन और हरित स्थल और पार्क शामिल हैं। आयोजना के दौरान, शहरी स्थानीय निकायों को भौतिक अवसंरचना घटकों में कुछ स्मार्ट विशेषताओं को शामिल करने का प्रयास किया गया है। मिशन घटकों का विवरण निम्नानुसार है :—

2.5 जलापूर्ति

2.5.1 प्रत्येक परिवार को निश्चित जलापूर्ति (135 LPCD) उपलब्ध कराना।

2.5.2 मौजूदा जलापूर्ति में वृद्धि करने, जल शोधन संयंत्रों और ब्ज पर मीटर लगाने।

2.5.3 शोधन संयंत्रों सहित पुरानी जलापूर्ति प्रणालियों का पुर्नस्थापन।

2.5.4 विशेषतया पेयजल आपूर्ति और भूमिगत जल पुनःभरण के लिए जलाशयों का पुर्नरूद्वार।

2.6 सीवरेज एवं सेप्टेज मैनेजमेंट

2.6.1 प्रत्येक परिवार को जल—मल निस्तारण के लिए सीवेज कनेक्शन सुलभ हो।

2.6.2 मौजूदा सीवरेज प्रणालियों और सीवेज शोधन संयंत्रों के संवर्धन सहित विकेन्द्रीकृत, नेटवर्कबद्ध भूमिगत सीवरेज।

2.6.3 पुरानी सीवरेज प्रणालियों और शोधन संयंत्रों का पुर्नस्थापना।

2.6.4 लाभकारी प्रयोजन के लिये शोधित जल का पुर्नचक्रण एवं अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग।

2.6.5 मल गाद प्रबंधन, कम लागत पर सफाई, परिवहन और शोधन।

2.6.6 सीवर और सेप्टिक टैंकों की यांत्रिकी और जैविक सफाई और प्रचालन की पूरी लागत वसूली।

2.6.7 सीवरेज परियोजनाओं को लागू करने में विशिष्ट घटकों जैसे— उर्जा उत्पादन, सोलर सेलों का उपयोग (जिससे अनुरक्षण एवं प्रबंधन व्यय में कमी की जा सके)।

2.7 लोक परिवहन सुविधा को बढ़ावा देना

2.7.1 गैर मोटरीकृत परिवहन (एन.एम.टी.) के लिए फुटपाथ, फुट ओव्हर ब्रिज का निर्माण।

2.7.2 बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण।

2.7.2 द्रुत बस परिवहन प्रणाली (BRT)

2.8 वर्षा जल नालों का विकास

2.8.1 बाढ़ को कम करने और समाप्त करने के उद्देश्य से नालों एवं वर्षा जल नालों का निर्माण एवं सुधार।

2.9 हरित क्षेत्र एवं सुव्यवस्थित पार्कों का विकास

2.9.1 बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगों के लिए अनुकूल विशेष प्रावधानों के साथ हरित क्षेत्र एवं पार्कों का विकास, प्रबंधन के साथ पार्कों का निर्माण एवं उन्नयन।

2.9.2 पार्क में बच्चों के खेलने के लिए झूले आदि की व्यवस्था।

2.9.3 नागरिकों को पार्क भ्रमण के लिए वाकिंग ट्रैक (पाथवे) का निर्माण।

2.9.5 निकाय को स्थानीय निवासी भागीदारी के साथ रखरखाव हेतु प्रणाली की स्थापना करना।

2.10 वित्तीय प्रबंधन

2.10.1 वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर 10 लाख एवं इससे अधिक जनसंख्या वाली नगरीय निकायों के लिये–
केन्द्रांश : 33 प्रतिशत, राज्यांश : 50 प्रतिशत, निकाय अंश : 17 प्रतिशत।

2.10.2 वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर 10 लाख से कम जनसंख्या वाली नगरीय निकायों के लिये–
केन्द्रांश : 50 प्रतिशत, राज्यांश : 40 प्रतिशत, निकाय अंश : 10 प्रतिशत।

2.10.3 अधोसंरचना विकास के हरित क्षेत्र एवं पार्क विकास घटक हेतु सभी मिशन शहरों के लिये–
केन्द्रांश : 50 प्रतिशत, राज्यांश : 40 प्रतिशत, निकाय अंश : 10 प्रतिशत।

2.10.4 अमृत मिशन के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाएं एवं उनकी प्रगति का विवरण परिशिष्ट–चार पर है।

3. अमृत – 1.0, प्रगति

3.1 मिशन अंतर्गत 33 शहरों में कुल 213 परियोजनाएं,राशि रू. 6686.97 करोड़ की स्वीकृत हैं, जिसमें 32 जलप्रदाय, 26 सीवरेज, 23 स्टार्म वाटर ड्रेन, 21 शहरी परिवहन एवं 111 हरित क्षेत्र विकास परियोजनाएं सम्मिलित हैं।

3.2 213 परियोजनाओं में से राशि रू. 4130.34 करोड की 175 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी है, जिसमे से 29 जल प्रदाय, 15 सीवरेज, 20 स्टार्म वॉटर ड्रेन, 105 हरित क्षेत्र विकास एवं 6 शहरी परिवहन की योजनाएँ है मिशन अंतर्गत सभी परियोजना की राशि रू. 5294.21 करोड व्यय किया गया है।

3.3 प्रगतिरत 38 परियोजनाओ में से 31 परियोजनाएं जून 2023 एवं शेष 07 परियोजनाओं को जून 2024 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

3.4 अमृत मिशन अंतर्गत परियोजनाओं की प्रगति

क्र.	निकाय का नाम	कार्य का नाम	परियोजना की राशि (रू. करोड में)	अद्यतन स्थिति
1	इन्दौर	जल प्रदाय पैकेज–1 (इन्दौर)	300.17	कार्य पूर्ण
		जल प्रदाय पैकेज–2 (इन्दौर)	287.17	कार्य प्रगतिरत है, 85 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		जल प्रदाय पैकेज–3 (इन्दौर)	26.55	कार्य पूर्ण
		सीवरेज पैकेज–1 (इन्दौर)	211.18	कार्य पूर्ण
		सीवरेज पैकेज–2 (इन्दौर)	89.75	कार्य पूर्ण
		विश्राम बाग पार्क	4.63	कार्य पूर्ण

क्र.	निकाय का नाम	कार्य का नाम	परियोजना की राशि (रू. करोड में)	अद्यतन स्थिति
		स्नेह नगर पार्क	1.48	कार्य पूर्ण
		सिरपुर पार्क	14.39	कार्य प्रगतिरत है, 79 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		पंचवटी पार्क	0.72	कार्य पूर्ण
		अर्बन ट्रांसपोर्ट	27.36	कार्य प्रगतिरत है, 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		अर्बन ट्रांसपोर्ट	76.40	कार्य प्रगतिरत है, 15 प्रतिशत कार्य पूण
2	भोपाल	जल प्रदाय (भोपाल एक्सटेंडेड ऐरिया)	284.3	कार्य पूर्ण
		जल प्रदाय (कोलार–ग्रेविटी मेन)	150.26	कार्य पूर्ण
		जल प्रदाय (भौंरी)	20.57	कार्य पूर्ण
		सीवरेज (भोज वेटलैड)	162.40	कार्य पूर्ण
		सीवरेज (शाहपुरा झील)	151.20	कार्य पूर्ण
		सीवरेज (कोलार)	181.44	कार्य पूर्ण
		स्टार्म वॉटर ड्रेन पैकेज 1ए	8.05	कार्य पूर्ण
		स्टार्म वॉटर ड्रेन पैकेज 1ब	7.92	कार्य पूर्ण
		स्टार्म वॉटर ड्रेन पैकेज 2	10.79	कार्य पूर्ण
		स्टार्म वॉटर ड्रेन पैकेज 3	13.71	कार्य पूर्ण
		स्टार्म वॉटर ड्रेन पैकेज 4	8.17	कार्य पूर्ण
		स्टार्म वॉटर ड्रेन पैकेज 6	11.99	कार्य पूर्ण
		स्टार्म वॉटर ड्रेन पैकेज 7ए	10.38	कार्य पूर्ण
		स्टार्म वॉटर ड्रेन पैकेज 7ब	4.90	कार्य पूर्ण
		स्टार्म वॉटर ड्रेन पैकेज 8	8.85	कार्य पूर्ण
		स्टार्म वॉटर ड्रेन पैकेज 9	6.01	कार्य पूर्ण
		स्टार्म वॉटर ड्रेन पैकेज 10	5.75	कार्य पूर्ण
		स्टार्म वॉटर ड्रेन पैकेज 11	10.84	कार्य पूर्ण
		स्टार्म वॉटर ड्रेन पैकेज 12	7.11	कार्य पूर्ण
		स्टार्म वॉटर ड्रेन पैकेज 13	8.46	कार्य पूर्ण
		स्टार्म वॉटर ड्रेन पैकेज 14	7.45	कार्य पूर्ण
		यातायात पार्क	2.66	कार्य पूर्ण
		अशोक विहार	0.26	कार्य पूर्ण
		चांदबड़ पार्क	0.48	कार्य पूर्ण

क्र.	निकाय का नाम	कार्य का नाम	परियोजना की राशि (रू. करोड में)	अद्यतन स्थिति
		एकतापुरी पार्क	0.73	कार्य पूर्ण
		ओल्ड सुभाष नगर पार्क	0.51	कार्य प्रगति पर है, 40 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		अमराई पार्क	1.04	कार्य पूर्ण
		एयरपोर्ट रोड पार्क	1.59	कार्य पूर्ण
		गुलाब उद्यान	1.53	कार्य पूर्ण
		राजीव नगर पार्क	0.27	कार्य पूर्ण
		नेहरू नगर फेस–1	0.71	कार्य पूर्ण
		नेहरू नगर फेस–2	0.56	
		नेहरू नगर फेस–3	0.53	
		एम.पी. नगर जोन –1 पार्क	0.25	कार्य पूर्ण
		यादगार–ए–शाहजानी पार्क	1.03	कार्य पूर्ण
		ए सेक्टर पार्क	0.30	कार्य पूर्ण
		दुर्गा माता मंदिर पार्क	0.27	कार्य पूर्ण
		बी सेक्टर पार्क	0.25	कार्य पूर्ण
		जनता कॉलोनी पार्क	0.13	कार्य पूर्ण
		ई7 पार्क	0.35	कार्य पूर्ण
		नीलम पार्क	0.28	कार्य पूर्ण
		वरूण नगर पार्क	0.24	कार्य पूर्ण
		सौरभ नगर पार्क	0.17	कार्य पूर्ण
		प्रियंका नगर–1 पार्क	0.28	कार्य पूर्ण
		प्रियंका नगर–2 पार्क	0.22	कार्य पूर्ण
		प्रियंका नगर–पी सेक्टर	0.21	कार्य पूर्ण
		प्रियंका नगर–जी पार्क	0.96	कार्य पूर्ण
		इंडस टाउन–1 पार्क	0.14	कार्य पूर्ण
		इंडस टाउन–2 पार्क	0.12	कार्य पूर्ण
		इंडस टाउन–3 पार्क	0.24	कार्य पूर्ण
		इंडस टाउन–4 पार्क	0.25	कार्य पूर्ण
		इंडस टाउन–5 पार्क	0.14	कार्य पूर्ण
		इंडस टाउन–6 पार्क	0.17	कार्य पूर्ण
		मक्सी पार्क	0.95	कार्य पूर्ण

क्र.	निकाय का नाम	कार्य का नाम	परियोजना की राशि (रू. करोड में)	अद्यतन स्थिति
		भारत माता पार्क	0.33	कार्य पूर्ण
		ललिता नगर पार्क	0.41	कार्य पूर्ण
		अर्बन ट्रांसपोर्ट	11.00	कार्य पूर्ण
		अर्बन ट्रांसपोर्ट	17.70	कार्य पूर्ण
		अर्बन ट्रांसपोर्ट	30	कार्य प्रगति पर है, 50 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		अर्बन ट्रांसपोर्ट	34.80	कार्य प्रगति पर है, 17 प्रतिशत कार्य पूर्ण
3	जबलपुर	जल प्रदाय	135.31	कार्य पूर्ण
		सीवरेज	362.31	कार्य प्रगति पर है, 73 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		आदर्श नगर पार्क	0.71	कार्य पूर्ण
		त्रिपुरी गार्डन	2.99	कार्य पूर्ण
		शिव नगर पार्क	0.88	कार्य पूर्ण
		आधारताल गार्डन	2.00	कार्य पूर्ण
		चन्द्रशेखर आजाद पार्क	1.14	कार्य पूर्ण
		अर्बन ट्रांसपोर्ट	20.00	कार्य प्रगति पर है, 26 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		अर्बन ट्रांसपोर्ट	3.48	कार्य पूर्ण
4	ग्वालियर	जल प्रदाय पैकेज–1 (रॉ वाटर)	49.57	कार्य पूर्ण
		जल प्रदाय पैकेज–2	296.27	कार्य पूर्ण
		सीवरेज पैकेज–1 (मुरार)	207.97	कार्य पूर्ण
		सीवरेज पैकेज–2 (लश्कर)	181.00	कार्य पूर्ण
		स्टार्म वॉटर ड्रेन	21.44	कार्य प्रगति पर है, 65 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		डी.डी. नगर पार्क	1.09	कार्य पूर्ण
		काटी घाटी पार्क	1.69	कार्य पूर्ण
		लाल टिपारा पार्क	2.79	कार्य पूर्ण
		मनोरंजनालय पार्क	4.59	कार्य पूर्ण
		तिकोनिया पार्क	0.84	कार्य पूर्ण
		अर्बन ट्रांसपोर्ट	25.00	कार्य प्रगति पर है, 81 प्रतिशत कार्य पूर्ण
5	उज्जैन	सीवरेज	436.58	कार्य प्रगति पर है, 73 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		क्षिप्रा रिवर फ्रंट पार्क	3.82	कार्य पूर्ण
		चकोर पार्क	3.67	कार्य पूर्ण
6	देवास	जल प्रदाय	22.51	कार्य पूर्ण
		कुश्ती ऐरीना पार्क	0.41	कार्य पूर्ण

क्र.	निकाय का नाम	कार्य का नाम	परियोजना की राशि (रू. करोड में)	अद्यतन स्थिति
		मयूर पार्क	1.59	कार्य पूर्ण
		मल्हार पार्क	1.59	कार्य पूर्ण
		स्टार्म वॉटर ड्रेन	2.49	यथा स्थिति कार्य स्थगित
		अर्बन ट्रांसपोर्ट	6.80	कार्य प्रगति पर है, 73 प्रतिशत कार्य पूर्ण
7	मुरैना	सीवरेज	138.16	कार्य पूर्ण
		चंबल कॉलोनी पार्क (वार्ड 41)	1.01	कार्य पूर्ण
		हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी पार्क (वार्ड 45)	0.69	कार्य पूर्ण
		अर्बन ट्रांसपोर्ट	8.00	कार्य प्रगति पर है, 16 प्रतिशत कार्य पूर्ण
8	सतना	जल प्रदाय	39.22	कार्य पूर्ण
		सीवरेज	199.37	अनुबंध निरस्त
		सीवरेज पैकेज –1 (शेष कार्य)	42.66	कार्य प्रगति पर है, 14 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		सीवरेज पैकेज–2 (शेष कार्य)	119.07	कार्य प्रगति पर है, 10 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		स्टार्म वॉटर ड्रेन	17.79	कार्य पूर्ण
		एयरपोर्ट पार्क (वार्ड नं. 22)	4.46	कार्य पूर्ण
		अर्बन ट्रांसपोर्ट	8.00	कार्य पूर्ण
9	सागर	सीवरेज	299.10	कार्य प्रगति पर है, 76 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		लेकसाईड पार्क	3.20	कार्य पूर्ण
		काकागंज पार्क, सागर	0.65	कार्य पूर्ण
10	रतलाम	सीवरेज	141.44	कार्य पूर्ण
		स्टार्म वॉटर ड्रेन	12.09	कार्य पूर्ण
		अमृत सागर पार्क	1.21	कार्य पूर्ण
		कालिका माता मंदिर पार्क	1.24	कार्य पूर्ण
11	रीवा	जल प्रदाय	35.58	कार्य पूर्ण
		सीवरेज	199.37	24 प्रतिशत कार्य पूर्ण अनुबंध निरस्त कर शेष कार्य के लिए निविदा दरें 25.01.2023 को राज्य स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा निविदा दरें स्वीकृत
		स्टार्म वॉटर ड्रेन	18.55	कार्य प्रगति पर है, 81 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		नेहरू नगर पार्क (वार्ड नं. 14)	0.27	कार्य पूर्ण
		चीराहुला पार्क	0.56	कार्य पूर्ण
		अर्बन ट्रांसपोर्ट	10.00	कार्य प्रगति पर है, 70 प्रतिशत कार्य पूर्ण

क्र.	निकाय का नाम	कार्य का नाम	परियोजना की राशि (रू. करोड में)	अद्यतन स्थिति
12	कटनी	जल प्रदाय	21.21	कार्य पूर्ण
		सीवरेज	96.50	36 प्रतिशत कार्य पूर्णए अनुबंध निरस्त कर शेष कार्य के लिए निविदा दरें 16.12.2022 को राज्य स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा निविदा दरें स्वीकृत
		पार्क निअर कलेक्टरेट	0.56	कार्य पूर्ण
		मंगल नगर पार्क	0.71	कार्य पूर्ण
		सुरम्य पार्क	0.70	कार्य पूर्ण
		अर्बन ट्रांसपोर्ट	10.00	कार्य प्रगति पर है, 15 प्रतिशत कार्य पूर्ण
13	सिंगरौली	जल प्रदाय	36.89	कार्य पूर्ण
		सीवरेज	110.46	31 प्रतिशत कार्य पूर्ण अनुबंध निरस्त कर शेष कार्य के लिए कार्यदेश जारी
		सीवरेज (शेष कार्य)	95.48	कार्यदेश जारी
		मुरवानी पार्क	2.13	कार्य पूर्ण
		अर्बन ट्रांसपोर्ट	8.00	कार्य प्रगति पर है, 67 प्रतिशत कार्य पूर्ण
14	छिंदवाड़ा	जल प्रदाय	77.57	कार्य पूर्ण
		धरम टेकरी पार्क	1.63	कार्य पूर्ण
		अर्बन ट्रांसपोर्ट	6.00	कार्य प्रगति पर है, 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण
15	बुरहानपुर	सीवरेज	93.97	कार्य पूर्ण
		रेणुका माता मंदिर	0.72	कार्य पूर्ण
		संजय नगर (पार्ट–1)	0.31	कार्य पूर्ण
		संजय नगर (पार्ट–2)	0.65	कार्य पूर्ण
		अर्बन ट्रांसपोर्ट	1.08	कार्य पूर्ण
16	खण्डवा	जल प्रदाय पैकेज–1	12.60	कार्य पूर्ण
		जल प्रदाय पैकेज–2	14.49	कार्य पूर्ण
		जल प्रदाय पैकेज–3	14.49	कार्य पूर्ण
		जल प्रदाय पैकेज–4	11.24	कार्य पूर्ण
		सॉई राम नगर पार्क	0.27	कार्य पूर्ण
		बेगम पार्क	0.38	कार्य पूर्ण
		किशोर नगर पार्क	0.35	कार्य पूर्ण
		एलआईजी कॉलोनी पार्क	0.27	कार्य पूर्ण
		पंजाब कॉलोनी पार्क	0.22	कार्य पूर्ण

क्र.	निकाय का नाम	कार्य का नाम	परियोजना की राशि (रू. करोड में)	अद्यतन स्थिति
		अर्बन ट्रांसपोर्ट	1.06	कार्य प्रगति पर है, 60 प्रतिशत कार्य पूर्ण
17	भिण्ड	सीवरेज	84.16	कार्य प्रगति पर है, 92 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		चंबल कॉलोनी पार्क	0.73	कार्य पूर्ण
		वाटर वर्क्स पार्क	0.22	कार्य पूर्ण
		अर्बन ट्रांसपोर्ट	4.00	कार्य प्रगति पर है, 44 प्रतिशत कार्य पूर्ण
18	गुना	जल प्रदाय	14.37	कार्य पूर्ण
		सीवरेज	81.09	कार्य प्रगति पर है, 68 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		आदर्श पार्क	0.15	कार्य पूर्ण
		शास्त्री पार्क	0.35	कार्य पूर्ण
		त्रिमूर्ति पार्क	0.15	कार्य पूर्ण
		सिंहवासा पार्क	0.50	कार्य पूर्ण
		टेकरी धानम पार्क	0.44	कार्य पूर्ण
		गोपालपुर पार्क	0.83	कार्य पूर्ण
		अर्बन ट्रांसपोर्ट	4.00	कार्य प्रगति पर है, 87 प्रतिशत कार्य पूर्ण
19	शिवपुरी	जल प्रदाय	22.06	कार्य प्रगति पर है, 99 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		तात्याटोपे स्मारक पार्क	0.51	कार्य पूर्ण
		जवाहर कॉलोनी पार्क	0.25	कार्य पूर्ण
20	विदिशा	सीवरेज	98.71	कार्य पूर्ण
		अहमदपुर पार्क	1.58	कार्य पूर्ण
21	छतरपुर	संध्या विहार पार्क	1.29	कार्य पूर्ण
		जल प्रदाय	75.45	कार्य पूर्ण
22	मंदसौर	जल प्रदाय	53.22	कार्य पूर्ण
		स्टॉर्म वाटर ड्रेन	5.7	कार्य पूर्ण
		दादा दादी पार्क (रीवा देवास रोड)	1.21	कार्य पूर्ण
		अभिनंदन पार्क	0.21	कार्य प्रगति पर है, 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		अभिनंदन पार्क (फेस–2)	0.32	कार्य प्रगति पर है, 55 प्रतिशत कार्य पूर्ण
23	खरगौन	सीवरेज	63.20	कार्य पूर्ण
		स्नेह वाटिका पार्क	0.88	कार्य पूर्ण
		आजाद नगर पार्क	0.22	कार्य पूर्ण
24	नीमच	जल प्रदाय	14.26	कार्य पूर्ण
		सीवरेज	62.03	कार्य पूर्ण
		सिटी पार्क	0.70	कार्य प्रगति पर है, 55 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		स्कीम न0 34 पार्क	0.22	कार्य पूर्ण
		जवाहर नगर पार्क	0.46	कार्य पूर्ण

क्र.	निकाय का नाम	कार्य का नाम	परियोजना की राशि (रू. करोड में)	अद्यतन स्थिति
25	पीथमपुर	जल प्रदाय	87.69	कार्य पूर्ण
		बगदून पार्क–1	0.12	कार्य पूर्ण
		बगदून पार्क–2	0.12	कार्य पूर्ण
		बगदून पार्क–3	0.15	कार्य पूर्ण
		बगदून पार्क–4	0.13	कार्य पूर्ण
26	होशंगाबाद	जल प्रदाय	43.34	कार्य पूर्ण
		स्टॉर्म वाटर ड्रेन	9.97	कार्य प्रगति पर है, 75 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		ऑफिस क्लब पार्क	0.36	कार्य पूर्ण
		हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी पार्क	0.34	कार्य पूर्ण
27	सीहोर	जल प्रदाय	12.83	कार्य पूर्ण
		सीवरेज	66.22	कार्य पूर्ण
		बड़ियाखेड़ी (बड़ा मंदिर)	1.02	कार्य पूर्ण
		रिवर फ्रंट बड़ियाखेड़ी पार्क	0.49	कार्य पूर्ण
28	बैतूल	जल प्रदाय	24.99	कार्य पूर्ण
		बैतूल बैराज	6.93	कार्य पूर्ण
		अभिनंदन सरोवर पार्क	0.47	कार्य पूर्ण
29	दतिया	जल प्रदाय	18.66	कार्य पूर्ण
		सीवरेज	58.84	कार्य प्रगति पर है, 86 प्रतिशत कार्य पूर्ण
30	नागदा	जल प्रदाय	12.84	कार्य पूर्ण
		पार्क निअर बायपास रोड	1.23	कार्य प्रगति पर है, 47 प्रतिशत कार्य पूर्ण
31	डबरा	जल प्रदाय	56. 64	कार्य प्रगति पर है,95 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		हरिपुरा पार्क (वार्ड नं. 19)	0.36	कार्य पूर्ण
32	ओंकारेश्वर	पी–1 बस स्टेंड पार्क (पार्ट–2)	0.20	कार्य पूर्ण
		पी–1 बस स्टेंड पार्क (पार्ट–1)	0.26	कार्य पूर्ण
		अर्बन ट्रांसपोर्ट	3.67	कार्य पूर्ण
33	दमोह	स्टार्म वॉटर ड्रेन	8.66	कार्य पूर्ण
		राम जानकी पार्क	0.79	कार्य पूर्ण
		7 कॉलोनी पार्क	0.49	कार्य पूर्ण

- योजना 23 शहरो में कुल 32 जलप्रदाय परियोजनाएं स्वीकृत है जिनमे से 29 परियोजनाएं पूर्ण हो गयी हैं तथा 03 परियोजनाएं प्रगतिरत हैं।
- 20 शहरो हेतु कुल 26 सीवरेज परियोजनाएं स्वीकृत है जिनमे से 15 परियोजनाएं पूर्ण हो गयी हैं शेष 11 परियोजनाएं प्रगतिरत हैं।

- 32 शहरो हेतु कुल 111 हरित क्षेत्र मे पार्क विकास परियोजनाएं स्वीकृत है जिनमे से 105 परियोजनाएं पूर्ण हो गयी हैं शेष 06 परियोजनाएं प्रगतिरत हैं।
- 9 शहरों हेतु कुल 23 स्टार्म वॉटर एवं ड्रेन परियोजनाएं स्वीकृत हैं, जिनमें से 17 परियोजनायें पूर्ण हो चुकी हैं, शेष 03 परियोजनाएं प्रगतिरत है।
- 18 शहरों हेतु 21 लोक परिवहन परियोजनाएं स्वीकृत हैं, जिनमें से 6 परियोजनाओं का कार्य पूर्ण हो चुका है, शेष 15 परियोजनाएं प्रगतिरत हैं।

1. अमृत 2.0

1.1 भारत सरकार द्वारा दिनांक 01 अक्टूबर 2021 को अमृत 2.0 मिशन प्रारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत प्रदेश के समस्त 413 नगरीय निकाय एवं 05 छावनी परिषद् को सम्मिलित किया गया है। मिशन अवधि मार्च 2022 से मार्च 2027 तक है। योजना अंतर्गत नगरीय निकायों में निम्न घटक अनुसार कार्य किया जाना हैः–

1.1.1 जल स्त्रोतों का उन्नयन, जल शोधन संयंत्र, जल शोधन प्रणाली, 24ग7, गैर राजस्व जल में कमी।

1.1.2 सीवेज नेटवर्क, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, (तृतीयक शोधन सहित) अमृत 1.0 के चयनित शहरों में। (एक लाख से अधिक जनसंख्या के शहरों के लिये)

1.1.3 जल संरचना का परिशोधन, उन्नयन एवं हरित क्षेत्र विकास।

1.2 अमृत 2.0 मिशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा राशि रू. 4580.93 करोड़ आवंटित किये जाने का प्रावधान किया गया है, जिसके मान से निकाय अंश तथा राज्यांश को सम्मिलित करते हुए, मिशन की कुल अनुमानित राशि रू. 12858.71 करोड़ है।

1.3 मिशन क्रियान्वयन हेतु मंत्रि–परिषद् से निम्नानुसार स्वीकृति प्राप्त की गई हैः–

(राशि रू. करोड़ में)

क्र	नगरीय निकाय का विवरण	केन्द्रांश	राज्यांश	निकायांश	कुल राशि
1	मिलियन प्लस शहर (4)	(@25%) 1285.56	(@ 58%) 2982.49	(@ 17%) 874.18	5142.23
2	एक से दस लाख के शहर (29)	(@ 33%) 1092.64	(@ 57%) 1887.28	(@ 10%) 331.10	3311.02
3	एक लाख से कम के शहर (374 नगरीय निकाय एवं 5 छावनी परिषद्) (379)	(@ 50%) 1666.79	(@ 45%) 1500.11	(@ 5%) 166.68	3333.58
4	रिफार्म एवं अन्य व्यय	(@ 50%) 535.94	(@ 50%) 535.94	-	1071.88
	कुल	**4580.93**	**6905.82**	**1371.96**	**12858.71**

4.1 कार्यों की प्रगति :–

क्र	ट्रेंच का	परियोजनाओं की संख्या	SWAP	SLTC से स्वीकृति का परियोजना

	नाम		(राशि रू. करोड़ में)	परियोजनाओं की संख्या	डी.पी.आर. लागत (राशि रू. करोड़ में)
1	ट्रेंच–1	296 (वाटर सप्लाई)	2945.37	87	1324.4
2	स्पेशल ट्रेंच	89 (वाटरबॉडी रिजुविनेशन)	153.53	35	56.68
3	ट्रेंच–2	वाटर सप्लाई– 121 सीवरेज–7 वाटरबॉडी रिजुविनेशन–341 पार्क–390 कुल– 859	4157.31	2	376.28
			कुल	**124**	**1757.36**

3. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) सबके लिए आवास – 2022

1. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) - सबके लिए आवास

1.1. भारत सरकार, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का शुभारंभ दिनांक 25/06/2015 को किया गया था, इस योजना के अंतर्गत (भारत सरकार, राज्य सरकार, नगरीय निकाय एवं हितग्राही के सहयोग से) सभी शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराना है। योजनातंर्गत शहरी गरीबों को निम्न 4 घटकों के अंतर्गत सहायता उपलब्ध कराई जानी है:-

- ✓ **"स्व स्थाने स्लम पुर्नविकास "(In-Situ Slum Redevelopment - ISSR)**
- ✓ **क्रेडिट से जुड़ी सब्सिडी के माध्यम से किफायती आवास (Credit Linked Subsidy Scheme - CLSS)**
- ✓ **भागीदारी में किफायती आवास (Affordable Housing in Partnership - AHP)**
- ✓ **लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण के लिये सब्सिडी (Beneficiary Led Construction - BLC)**

1.2. नगरीय निकाय अथवा राज्य की अन्य निर्माण एजेंसियां उक्त में से एक या एक से अधिक सभी विकल्पों पर योजना तैयार कर सकती है। योजनातंर्गत निम्नलिखित आय वर्ग के लोगों को लाभ दिया जाना है:-

- ✓ **आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के लिये परिवार की वार्षिक आय राशि रू . 3,00,000 तक। (आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के परिवार योजना के समस्त घटक का लाभ प्राप्त करने की पात्रता रखते है(**

- ✓ **निम्न आय वर्ग के लिये परिवार की वार्षिक आय राशि रू .3,00,001 से अधिक एवं राशि रू. 6,00,000 तक। निम्न आय वर्ग के परिवार योजना के केवल)CLSS घटक का लाभ प्राप्त करने की पात्रता रखते है(**

1.3. योजनातंर्गत निम्नानुसार वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है:-

क्रं.	**योजना के विकल्प**	**केन्द्रांश**	**राज्यांश**	**पात्र हितग्राही**
1	Beneficiary Led Construction - BLC	आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग (EWS) के हितग्राहियों को राशि **रु. 1.50 लाख** प्रति आवासीय इकाई	आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग (EWS) के हितग्राहियों को राशि **रु. 1.00 लाख** प्रति आवासीय इकाई	आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग (EWS)
2	**Affordable Housing in Partnership - AHP**	आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग **(EWS)** के हितग्राहियों को राशि **रु. 1.50 लाख** प्रति आवासीय इकाई	आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग **(EWS)** के हितग्राहियों को राशि **रु. 1.50 लाख** प्रति आवासीय इकाई	आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग **(EWS)**
3	**Credit Linked Subsidy Scheme - CLSS**	**आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) एवं निमन आय वर्ग** (LIG) **के लिए हितग्राही को 20 वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए राशि रू . 6.00 लाख तक के गृह ऋण पर 6.5 प्रतिशत ब्याज अनुदान** (Interest Subsidy)**अधिकतम ब्याज अनुदान की राशि रु .2.67 लाख**	**-**	आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग **(EWS)** और निम्न आय वर्ग **(LIG)**
4	**In-Situ Slum Redevelopment - ISSR**	आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग **(EWS)** के हितग्राहियों को राशि **रु. 1.00 लाख** प्रति आवासीय इकाई	**भूमि उपलब्ध कराई जाती है।**	आर्थिक रूप से कमजोर **(EWS)**

योजना के बी.एल.सी. घटक अंतर्गत हितग्राहियों के द्वारा आवास का निर्माण स्वयं किया जाता है, जिसके निर्माण की औसतन अनुमानित लागत रू. 3.85 लाख प्रति आवास है। चयनित हितग्राहियों को राशि रु. 2.50 लाख प्रति आवास

का अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें केन्द्रांश राशि रू. 1.50 लाख प्रति आवास तथा राज्यांश राशि रू. 1.00 लाख प्रति आवास सम्मिलित है।

अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप (ए.एच.पी.) घटक अंतर्गत हितग्राहियों को निकायों के द्वारा आवासों का निर्माण कर प्रदान किया जा रहा है, इस घटक में कुल सहायता राशि रू. 3.00 लाख प्रति आवास है, जिसमें केन्द्रांश राशि रू. 1.50 लाख प्रति आवास तथा राज्यांश राशि रू. 1.50 लाख प्रति आवास सम्मिलित है।

1.4. योजनातंर्गत प्रदेश के 406 नगरीय निकायों की 1,927 परियोजनाओं में EWS श्रेणी की 7,84,913 *(आर.ए.वाय. के 8,123 एवं एल.एच.पी. के 1,024 आवास सम्मिलित)* आवासीय इकाईयां स्वीकृत की जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त 1,65,782 हितग्राहियों को योजना के CLSS घटक से भी लाभान्वित किया गया है। स्वीकृत योजनाओं में CLSS को सम्मिलित करते हुए 6 लाख से अधिक आवासीय इकाइयों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है एवं शेष इकाइयों पर निर्माण की कार्यवाही प्रचलित है।

1.5. बी.एल.सी. घटक अंतर्गत स्वीकृत 7,25,590 आवासों के निर्माण में राशि रु. 3.85 लाख प्रति आवास के मान से लगभग रू. 27,935.22 करोड़ व्यय होगी, जिसमें केंद्र तथा राज्य की अनुदान राशि रु. 18,139.75 करोड़ स्वीकृत है। स्वीकृत अनुदान राशि में से राज्य द्वारा नगरीय निकायों को वर्तमान तक रु. 14,161.41 करोड़ प्रदान की जा चुकी है।

1.6. प्रदेश में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कई नवाचार किये गये हैं, जिसके फलस्वरूप योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए मध्यप्रदेश को 19/10/2022 को भारत सरकार द्वारा "सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन" करने वाले राज्यों की श्रेणी में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है।

1.7. योजना के AHP घटक अंतर्गत निकायों के द्वारा हितग्राहियों को आवासों का निर्माण करके आवंटन किया जा रहा है, जिसके क्रियान्वयन हेतु शासकीय भूमि भू-स्वामी हक पर निशुल्क प्रदान की जा रही है। इस घटक अंतर्गत हितग्राहियों को उनके अंशदान की व्यवस्था हेतु बैंकों से ऋण प्राप्त करने की कठिनाई दूर करने के लिए त्रिपक्षीय अनुबंध के माध्यम से नगरीय निकायों की जिम्मेदारी पर हितग्राहियों को सुगमता पूर्वक ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। AHP घटक अंतर्गत नॉन-स्लम के हितग्राहियों के लिए भी राज्य के द्वारा राशि रु. 1.50 लाख की सहायता अब प्रदान की जा रही है, इस प्रकार AHP घटक के हितग्राहियों को कुल राशि रु. 3.00 लाख की सहायता प्राप्त हो रही है। मलिन बस्ती (स्लम) के हितग्राहियों को AHP घटक अंतर्गत निर्मित आवास मात्र राशि रू. 2.00 लाख के अंशदान में आवंटित किया जा रहा है।

1.8. इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री भवन एवं संनिर्माण कर्मकार आवास (नगरीय) योजना अंतर्गत निर्माण श्रमिको को AHP भवनों के लिए राशि रु. 1 लाख तक अतिरिक्त अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है।

1.9. योजना अंतर्गत प्रदेश में यह भी प्रयास किया गया है, कि आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के हितग्राहियों के लिए निर्मित की जा रही आवासीय इकाईयों के साथ निम्न आय वर्ग एवं मध्यम आय वर्ग के हितग्राहियों के लिए भी आवासीय इकाईयों का निर्माण किया जाये, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के हितग्राहियों के सामाजिक स्तर में भी सुधार तथा निर्मित किये जाने वाले परिसर का संचालन/संधारण भी नियमित रूप से हो सके। निम्न एवं मध्यम आय वर्ग

के हितग्राहियों के लिए निर्मित की जा रहीं आवासीय इकाईयों से होने वाले आय से आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के हितग्राहियों को भी क्रॉस-सब्सिडी के विकल्प को भी ध्यान में रखा गया है।

1.10. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत भारत सरकार, आवासन और शहरी कार्य, मंत्रालय द्वारा भवन निर्माण की नवीन तकनीकों को प्रोत्साहित करने हेतु ग्लोबल हाउसिंग टेक्नालॉजी चैलेन्ज के अंतर्गत लाईट हाऊस प्रोजेक्ट चिन्हित किये गये थे, जिनमें से सम्पूर्ण देश में प्रदेश से इंदौर नगर एवं अन्य प्रदेशों के 5 नगरों का चयन किया गया है। इंदौर में प्री-फेब्रीकेटिड सेण्डविच पैनल सिस्टम तकनीक से 1,024 आवासों का निर्माण किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया था । निर्माण की नवीन तकनीक के प्रोत्साहन में लाईट हाऊस प्रोजेक्ट-इंदौर की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो कि प्रदेश के छात्र शिक्षक व भवन निर्माण एजेंसी के प्रशिक्षण हेतु लाइव प्रयोगशाला के रूप में उपलब्ध है।

4. स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)—मध्यप्रदेश 2022—23

वर्ष 2014 से स्वच्छ भारत मिशन के प्रारम्भ से ही देश में सम्पूर्ण स्वच्छता क्रान्ति का प्रारम्भ हो गया था। जिसमें खुले में शौच से मुक्त, स्वच्छ भारत का सपना देश ने देखा था। मध्यप्रदेश ने स्वच्छता एक पूर्णकालिक विषय के रूप में स्थापित किया है। मध्यप्रदेश के सभी शहरों ने पिछले 05 सालों के दौरान अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास किए। नागरिकों को व्यक्तिगत शौचालय, सार्वजनिक शौच सुविधाएं, अपशिष्ट प्रबंधन आदि प्रयासों से मध्यप्रदेश में स्वच्छता जन आंदोलन का प्रारम्भ हुआ।

आज प्रदेश के शत प्रतिशत निकायों में नागरिक आवासों और प्रतिष्ठानों से वाहनों द्वारा कचरा संग्रहण व्यवस्था संचालित की जा रही है। नागरिक अपने घरों में कचरा दो, तीन चार भागों में अलग अलग करके ही कचरा संग्रह वाहन को दे रहे हैं। मिशन अंतर्गत चिन्हित परिवारों को व्यक्तिगत शौचालय उपलब्ध कराने का प्राथमिक लक्ष्य था। इसके साथ ही देश में खुले में शौच से मुक्त होने के लिए वातावरण का निर्माण हुआ। खुले में शौच से मुक्ति का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक शौच सुविधाओं की उपलब्धता एक प्रमुख लक्ष्य थी, जिससे देश के स्वच्छता परिदृश्य में बदलाव आया। इसके अलावा कचरा प्रबंधन और साफ सफाई पर ध्यान देकर हमने शहरी नागरिकों के जीवन में स्वच्छता को एक जरूरत के रूप में स्थापित किया। स्वच्छ भारत मिशन ने अपशिष्ट प्रबंधन में काम करने वाले सफाई मित्रों के प्रति समाज का सोच बदला, जिससे उनके प्रति समाज में सम्मान और संवेदनशीलता का वातावरण निर्मित हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण में हमने देश के सभी शहरों को कचरा मुक्त बनाने का संकल्प लिया है।

स्वच्छ भारत मिशन के प्रथम चरण में राज्यों और नागरिकों की सक्रिय सहभागिता से प्रोत्साहित होकर भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 लांच किया गया। जिसकी अवधि **01 अक्टूबर 2021 से 01 अक्टूबर 2026** तक है। इसके अंतर्गत प्रथम भाग में संपादित शेष स्वच्छता गतिविधियों के साथ स्वच्छता व्यवहारों को संस्थागत स्वरूप प्रदान करते हुए उन्हें संवहनीय बनाने का लक्ष्य रखा गया। इसके अंतर्गत आगामी वर्षों में शहरों को कचरा मुक्त बनाना, खुले में शौच से मुक्ति मानदंडों (ODF+,ODF++, Water+)पर स्थाई बनाए रखना और स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने हेतु नागरिकों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना होगा। मिशन के द्वितीय चरण का क्रियान्वयन पूर्णतः लक्ष्याधारित होगा।

लक्ष्य :

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)–2.0 के अंतर्गत प्रदेश में स्त्रोत पृथक्कीकरण, निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट सहित कचरे के सभी भागों का पूर्ण प्रसंस्करण, प्लास्टिक अपशिष्ट और सिंगल यूज प्लास्टिक को चरणबद्ध रूप से कम करना और संपूर्ण लीगेसी वेस्ट को उपचारित करते हुए सभी शहरों को कचरा मुक्त बनाने हेतु लक्षित किया गया है।

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)–2.0 के प्रमुख घटक :–

क्र.	घटक	प्रमुख बिंदु
01	संवहनीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	▪ 100 प्रतिशत ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक प्रबंधन, सभी सार्वजनिक क्षेत्रों और शहरों को कचरा मुक्त बनाना। ▪ ठोस अपशिष्ट गतिविधियों के उचित प्रबंधन के माध्यम से शहर में वायु गुणवत्ता में सुधार। ▪ सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग में चरणबद्ध रूप से कमी।
02	संवहनीय स्वच्छता	▪ शहरों में खुले में शौच से मुक्त स्थिति को बनाए रखने हेतु संवहनीय प्रयास। ▪ नगरीय क्षेत्रों में अधिक आवाजाही वाले सार्वजनिक स्थानों, पर्यटन एवं धार्मिक महत्व के स्थानों पर आवश्यकता आधार पर सार्वजनिक शौच सुविधाओं का निर्माण। ▪ संपूर्ण स्वच्छता को लक्षित करते हुए मलजल का खुले में डिस्चार्ज, ओवर–फ्लो रोकना, मलजल का संग्रहण, परिवहन एवं सुरक्षित निष्पादन।
03	उपयोगित जल प्रबंधन	▪ सीवर्स, सेप्टिक टैंक की सफाई में सीधे मानव हस्तक्षेप को रोकना और मशीनों से सफाई को बढ़ावा देना। ▪ उपयोगित जल को जल संरचनाओं में जाने से पूर्व उपचार और पुर्नउपयोग हेतु सीवेज ट्रीटमेंट इकाई, नालों में इंटरसेप्शन व डायवर्जन, सीवर और सेप्टिक टैंक सफाई मशीन आदि सुविधाओं का विकास।
05	सूचना, शिक्षा, संचार / व्यवहार परिवर्तन	▪ इस घटक में नागरिकों को अधिक से अधिक जोड़ने के लिए प्रयास करना है। इसके साथ ही सिटीजन वॉलंटियर की भूमिका को सशक्त किया जाना है। गतिविधियों को नागरिकों के व्यवहार परिवर्तन की संवहनीयता को लक्षित करते हुए क्रियान्वित किया जाना है। जिसमें स्त्रोत पृथक्कीकरण, स्वच्छता की जिम्मेदारी, स्वच्छता शिक्षा,

		सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभाव आदि के संबंध में प्रयास प्रमुख हैं।
05	क्षमता वर्धन	▪ सभी सहयोगियों, संस्थाओं, निकायों, प्रशासनिक अधिकारियों, संलग्न विभागों, सफाई मित्रों व अनौपचारिक सफाई कर्मियों के साथ अशासकीय संगठनों के प्रशिक्षण का प्रावधान भी क्षमतावर्धन घटक के अंतर्गत किया गया है। इनके अतिरिक्त सफाई कर्मियों के तकनीकी क्षमता की वृद्धि के लिए उन्हें नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भागीदारी किया जाना आवश्यक है।

वित्तीय प्रावधान :

स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा मध्यप्रदेश के परियोजना अवधि के लिए कुल 4913.74 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जिसमें से 2200.20 करोड़ की राशि केन्द्रांश के रूप में एवं 1800.22 करोड़ राज्य का अंशदान होगा। ठोस व द्रव अपशिष्ट परियोजनाओं के क्रियान्वयन में नगरीय निकायों से राशि रू. 913.32 करोड़ का अंशदान अपेक्षित है। इस आधार पर मध्यप्रदेश को आवंटित होने वाली घटकवार राशि निम्नानुसार है :–

क्र.	इकाई / उपघटक	केन्द्रांश	राज्यांश	निकाय	कुल
1	शौचालय निर्माण – व्यक्तिगत, सार्वजनिक शौचालय एवं युरिनल्स	64.70	59.21	63.30	187.21
2	उपयोगित जल प्रबंधन	1229.50	983.60	245.90	2459.00
3	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	617.50	565.08	604.12	1786.70
4	सूचना, शिक्षा व संचार	192.00	128.00	0.00	320.00
5	क्षमता वर्धन	96.50	64.33	0.00	160.83
	कुल प्रावधान	2200.20	1800.22	913.32	4913.74

 # व्यक्तिगत शौचालय की लागत प्रति इकाई 30 हजार के मान से, युरिनल हेतु 32000/– प्रति सीट एवं सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालय निर्माण लागत 1.5 लाख प्रति सीट, एस्पिरेशनल सामुदायिक शौचालय हेतु 2.5 लाख प्रति सीट के मान से।

भौतिक लक्ष्य :

1. सभी शहर कचरा मुक्त श्रेणी के अंतर्गत 3 स्टार अथवा अधिक से प्रमाणित होंगे।

2. सभी शहर कम से कम ओडीएफ प्लस अथवा उच्च श्रेणी में प्रमाणित होगे।
3. 01 लाख से कम जनसंख्या के सभी शहर ओडीएफ डबल प्लस प्रमाणित होंगे।
4. 01 लाख से कम जनसंख्या के कुल शहरों में से कम से कम 50 प्रतिशत वॉटर प्लस से प्रमाणित होंगे।

स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की घटकवार अद्यतन प्रगति :–

1. **शौचालय निर्माण – व्यक्तिगत, सार्वजनिक शौचालय एवं युरिनल्स**

वर्ष 2014 से 2022 तक मिशन के लक्ष्यों में 7 लाख 31 हजार 971 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण शामिल किया गया। इस घटक के अंतर्गत नागरिकों की मांग के आधार पर उन्हेंव्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण के लिए निम्नानुसार अनुदान प्रदान किया जाता है :–

क्र	योजना का नाम	इकाई लागत	केन्द्रांश	राज्यांश	निकाय अंशदान	हितग्राही अंशदान
1	स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)–1.0	13600/–	4000/–	6880/–	1360/–	1360/–
2	स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)–2.0	30000/–	4000/–	11000/–	12000/–	3000/–

2. वर्ष 2023 तक व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण घटक में भौतिक एवं वित्तीय प्रगति :

413 निकायों में कुल स्वीकृत व्यक्तिगत शौचालय	निर्मित कुल व्यक्तिगत शौचालय	वर्ष 2023 के दौरान प्रगति	वर्ष 2023 के दौरान जारी राशि (लाख में)
687549	579642	533	**21.21**

सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों का निर्माण हेतु शहरों में प्रतिदिन आसपास के क्षेत्रों से आने वाली आबादी और शौचालय विहीन परिवारों और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में आने वाली जनसंख्या के लिए 24233 सीट के विरूद्ध 20426 सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया गया। एसबीएम 2.0 में सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों निर्माण के लिए निम्नानुसार अनुदान प्रावधानित हैः–

क्र.	निकाय का श्रेणीकरण	केन्द्रांश	राज्य शासन अनुदान	निकाय अंशदान
1	10 लाख से अधिक जनसख्या वाले शहर	37500/-	37500/-	75000/-

2	1 से 10 लाख से अधिक जनसख्ंया वाले शहर	49500/-	49500/-	51000/-
3	1 से लाख से कम जनसख्ंया वाले शहर	75000/-	60000/-	15000/-

नगरीय क्षेत्रों में अधिक आवाजाही वाले सार्वजनिक स्थानों, पर्यटन एवं धार्मिक महत्व के स्थानों पर **एस्पिरेशनल शौचालयों के निर्माण को लक्षित किया गया है। जारी वित्तीय वर्ष में 34नगरीय निकायों में एस्पिरेशनल श्रेणी के 154 सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किए गए हैं।** जिसमें जनसंख्या वार अनुदान निम्नानुसार होगा :–

क्र.	निकाय का श्रेणीकरण	केन्द्रांश	राज्य शासन अनुदान	निकाय अंशदान
1	10 लाख से अधिक जनसख्ंया वाले शहर	62500/-	62500/-	125000/-
2	1 से 10 लाख से अधिक जनसख्ंया वाले शहर	82500/-	82500/-	85000/-
3	1 से लाख से कम जनसख्ंया वाले शहर	125000/-	100000/-	25000/-

प्रदेश के निकायों में वर्ष 2023 तक सार्वजनिक व सामुदायिक शौचालयों के निर्माण की स्थिति निम्नानुसार है :–

413 निकायों में कुल स्वीकृत सार्वजनिक व सामुदायिक शौचालय सीट संख्या	निर्मित कुल सार्वजनिक व सामुदायिक शौचालय सीट संख्या	वर्ष 2022 के दौरान प्रगति
24,233	20,426	243

3. संवहनीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

इस घटक के अंतर्गत प्रदेश के 413 नगरीय निकायों में कचरा संग्रहण, परिवहन एवं प्रसंस्करण सुविधाओं के विकास के लिए निकायों को अनुदान दिया जाता है। इसके अंतर्गत निकायों की ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना लागत का 58.3 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में प्रदान की जाती **है।** शेष राशि निकाय अंशदान/जननिजीभागीदार का अंशदान होता है। निकायों में दैनिक आधार पर उत्सर्जित होने वाले कचरे का निपटान निर्धारित प्रक्रिया और मानदंडों के आधार पर किया जाता है। वर्ष 2022 में प्रदेश के 407 निकायों में सभी माध्यमों से 8.0 हजार टन कचरे का उत्सर्जन रिपोर्ट किया गया है जिसमें से निकायों द्वारा 6.50 हजार टन (81. 25 प्रतिशत) कचरे का निपटान व प्रसंस्करण किया गया है। इसमें शहर की आबादी

के अनुमान से 300 से 550 ग्राम प्रतिव्यक्ति कचरा उत्सर्जन के आधार पर कुल अपशिष्ट उत्सर्जन का आंकलन किया गया है, जिसमें 10 लाख से अधिक जनसंख्या के शहरों में 550 ग्राम, 1 से 10 लाख जनसंख्या शहरों में 450 और 1 लाख से कम जनसंख्या के शहरों में 300 ग्राम प्रतिव्यक्ति कचरा उत्सर्जन का अनुमान है। इस घटक के अंतर्गत शत–प्रतिशत कचरा संग्रहण एवं स्त्रोत पृथक्कीकरण, परिवहन, समस्त गीले व सूखे कचरे का प्रसंस्करण, सेनेटरी लैंडफिल, निर्माण एवं ध्वंस अपशिष्ट मुख्य मद होंगे। बड़ी मात्रा में कचरा उत्सर्जक एवं निकायों में उपयोगकर्ता शुल्क को लागू करते हुए वसूली किया जाना लक्षित किया गया है। इस घटक में स्वीकृत परियोजनाओं में पांच वर्षो के लिये ओ एण्ड एम का प्रावधान अनिवार्य होगा। निकाय स्तर से ैं।च ;ब्पजल ैवसपक ॅंजम ।बजपवद च्संदद्धतैयार किये जायेगें। जनवरी वर्ष 2023 तक राशि रू. 307 करोड़ के प्रस्ताव– लीगेसी वेस्ट, सीएण्ड वेस्ट और रोड स्वीपिंग के प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे जा चुके है। इसके अंतर्गत निकायों की ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना लागत 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के लिए 50 प्रतिशत, 1 से 10 लाख की जनसंख्या के लिए 66 प्रतिशत तथा 1 लाख से कम जनसंख्या वाले निकायों के लिए 90 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है। शेष राशि निकाय अंशदान/जननिजीभागीदार का अंशदान होता है।

निकायों में उत्सर्जित होने वाले कचरे का निपटान निर्धारित प्रक्रिया और मानदंडों के आधार पर किया जाता है। वर्ष 2022–23 में प्रदेश के 413 निकायों में सभी माध्यमों से 8.13 हजार टन कचरे का उत्सर्जन रिपोर्ट किया गया है जिसमें से निकायों द्वारा 8.12 हजार टन (99 प्रतिशत) कचरे का निपटान व प्रसंस्करण किया गया है। इस मद में वित्तीय वर्ष के दौरान 2099 लाख का व्यय किया गया है। इसके अलावा निकायों द्वारा लीगेसी वेस्ट के वैज्ञानिक निपटान, और वर्तमान डंपसाइटस को सुरक्षित रूप से हटाए जाने या कचरे के वैज्ञानिक प्रसंस्करण के उपरांत भूमि वापस प्राप्त किए जाने की कार्यवाही निरंतर की जा रही है।

4. संवहनीय स्वच्छता एवं उपयोगित जल का उपचार ।

प्राकृतिक जल स्त्रोतों को सुरक्षित एवं संरक्षित रखना राज्य सरकार का दायित्व है, परंतु सेप्टिक टेंक से निकलने वाले स्लज एवं तरल अपशिष्ट प्राकृतिक जल स्त्रोतों के प्रदूषण के प्रमुख कारणों में एक है। जनगणना–2011 के आंकडो के अनुसार राज्य की नगरीय जनसंख्या 2.02 करोड़ है। इसके आधार पर राज्य में लगभग 40 लाख परिवार निवास करते है, इनमें से केवल 20 प्रतिशत परिवार सीवर नेटवर्क से जुडे हुये है, जबकि 52 प्रतिशत परिवार सेप्टिक टेंक व्यवस्था के अंतर्गत हैं। इन परिवारों के सेप्टिक टेंक से निकलने वाला फीकल स्लज एवं सेप्टेज के प्रबंधन की उपयुक्त व्यवस्था नहीं है। परिणामस्वरूप प्राकृतिक जल स्त्रोत एवं भू–जल स्त्रोत के प्रदूषित

होने की संभावना है। प्रदेश में फीकल स्लज और सेप्टेज प्रबंधन को मानक बनाए जाने के उददेश्य से कार्य नीति तैयार की गई। जिसके अंतर्गत सभी नगरीय निकायों को मडपंप/सक्शन पंप का प्रावधान करने और नागरिकों को हर तीन साल में अपने सेप्टिक टैंक की सफाई किए जाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रदेश के 355 निकायों में एफएसटीपी का निर्माण किया जा चुका है और अन्य निकायों में एफएसटीपी का निर्माण के लिए प्रक्रियाधीन है। इसके अलावा लगभग 12 निकायों एसटीपी संचालित है।

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)–2.0 के अंतर्गत उपयोगित अपशिष्ट जल प्रबंधन पर जोर दिया जाना है। इस हेतु प्राथमिक आवश्यकता के रूप में एक लाख से कम जनसंख्या के निकायों में अमृत योजना अंतर्गत चयनित सलाहकारों द्वारा डीपीआर तैयार करने की कार्यवाही की जा रही है। इस हेतु 47 शहरों के सिटी सेनिटेशन एक्शन प्लान तैयार किये जा चुके है,इसके साथ ही भारत सरकार को 258 डिस्लजिंग वाहन क्रय करने के लिए 51.00 करोड़ का प्रस्ताव प्रेषित किए गए हैं।

5. **जागरूकता एवं क्षमतावर्धनः** नगरीय क्षेत्रों में जागरूकता गतिविधियों को नियमित संचालित किया जा रहा है। जिसमें स्वसहायता समूहों की सहभागिता, सिंगल यूज प्लास्टिक का निषेध, घरों से पृथक्कीकृत कचरा संग्रहण, होम कंपोस्टिंग आदि जैसे विषयों पर गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है।

   - जनजागरूकता गतिविधियों के आयोजन हेतु प्रदेश में रणनीति तैयार कर निकायों को उपलब्ध कराई गई है। निकायों की जनसंख्या वर्ष 2011 को आधार मानकर नगरीय निकायों को वित्तीय प्रावधान किए गए हैं।
   - सभी नगरीय निकायों द्वारा आईईसी एक्शन प्लान तैयार कर वर्ष 2022–23 के लिए राशि रू. 51.20 करोड़ के प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किए गए हैं। जिसके आधार पर कुल प्रस्ताव की 40 प्रतिशत राशि प्रथम किश्त के रूप में नगरीय निकायों को प्राप्त होगी।
   - नगरीय निकायों के नोडल अधिकारियों, सफाई कर्मियों एवं सहयोगियों के लिए क्षमतावर्धन गतिविधियों के आयोजन की कार्यवाही जारी है। इस हेतु कार्ययोजना तैयार कर कार्यवाही की जाएगी।

6. **वित्तीय प्रबंधन :** स्वच्छ भारत मिशन 2.0 अंतर्गत प्रदेश को प्राप्त राशि की अद्यतन स्थिति निम्नानुसार है :–

(राशि रू. करोड़ में)

कमांक	घटक	भारत सरकार
1	व्यक्तिगत, सार्वजनिक शौचालय एवं युरिनल्स	64.70
2	उपयोगित जल प्रबंधन	1229.50

3	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	617.50
4	सूचना, शिक्षा व संचार	192.00
5	क्षमता वर्धन	96.50
	योग	**2200.20**

भौतिक लक्ष्यों के विरूद्ध प्रगति :

क्रमांक	**मिशन काल (2021–2026) के भौतिक लक्ष्य**	**वर्ष 2022–23 की प्रगति**
1	कचरा मुक्त श्रेणी के अंतर्गत स्टार से प्रमाणीकरण	
	01 स्टार	74
	03 स्टार	23
	05 स्टार	01
	07 स्टार	01
2	ओडीएफ प्लस अथवा उच्च श्रेणी में प्रमाणीकरण	
	ओडीएफ प्लस प्रमाणित शहर	07
	ओडीएफ डबल प्लस प्रमाणित शहर	324
	वॉटर प्लस प्रमाणित निकाय	02

5 दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM)

5.1 केन्द्र प्रवर्तित ''स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (SJSRY)'' के स्थान पर 12वी. पंचवर्षीय योजना में शहरी गरीबों के उत्थान के लिए संशोधित नवीन योजना ''डे–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM)'' सितम्बर 2013 से लागू की गई है।

5.2 उद्देश्य

भारत सरकार, मध्यप्रदेश शासन एवं नगरीय निकायों के संयुक्त प्रयासों से शहरी गरीबों के उत्थान के लिए ''दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन'' का संचालन किया जा रहा है। यह मिशन क्षमता संवर्धन, स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण, सामाजिक सुरक्षा तथा संस्थागत विकास के द्वारा शहरी गरीबों को आजीविका के साधन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मिशन के अन्तर्गत शहरी बेघरों को आश्रय तथा पथ विक्रेताओं के लिए हाकर्स कार्नर/वेंडर मार्केट विकसित

किये जाते है। इसके साथ ही उन्हें विभिन्न विभागों की सामाजिक सेवाओं का लाभ भी प्रदान किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 से योजना प्रदेश के समस्त 413 नगरीय निकायो में संचालित है।

5.4 योजना के घटक :–

5.4.1 सामाजिक एकजुटता एवं संस्थागत विकास
(Social Mobilisation And Institution Development)

5.4.2 कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार
(Employment Through Skills Training And Placement)

5.4.3 स्वरोजगार कार्यक्रम
(Self-Employment Programme)

5.4.4 क्षमता संवर्धन एवं प्रशिक्षण
(Capacity Building & Training)

5.4.5 स्ट्रीट वेंडर्स के लिए सहायता
(Support to Urban Street Vendors)

5.4.6 शहरी गरीबों के लिए आश्रय योजना
(Shelter For Urban Homeless)

5.4.7 अभिनव और विशेष परियोजना
(Innovative & Special project)

5.5 घटकवार विवरण एवं वर्षवार प्रगति

5.5.1 सामाजिक एकजुटता एवं संस्थागत विकास

घटक अंतर्गत समूहों की त्रिस्तरीय संगठनात्मक रचना की गई है। प्रथम स्तर पर 10 से 20 महिलाओं को मिलाकर स्व सहायता समूह का गठन किया जायेगा। द्वितीय स्तर पर 10–20 स्व सहायता समूहों के चिन्हित सदस्यों से एरिया लेवल फेडरेशन का गठन किया जायेगा। तृतीय स्तर पर 10–20 एरिया लेवल फेडरेशन के सदस्यों से सिटी लेवल फेडरेशन का गठन किया जायेगा। इस संघीय संरचना का उद्देश्य शहरी गरीब महिलाओं का सामाजिक एवं आर्थिक विकास करना है। इस संरचना से समूहों के निर्माण, हितग्राहियों की पहचान एवं भागीदारी, बैंक लिंकेज, निरंतर आजीविका, प्रशिक्षण, मार्केटिंग आदि में सहायता मिलेगी। उक्त क्रियाकलापों के क्रियान्वयन के लिये प्रत्येक शहर में शहरी आजीविका केन्द्र की स्थापना की जायेगी।

प्रगति

क्र.	वर्ष	लक्ष्य	स्व–सहायता समूह गठन	समूह को प्रदान की गई आवर्ती निधि (रिवाल्विंग फंड) (रू. लाख में)	कुल बैंक ऋण (रू. लाख में)		
					बैंक ऋण	ब्याज अनुदान	योग (6+7)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	2014–15	2500	1382	0.32	226.12	11.30	237.42
2	2015–16	3000	3870	113.60	529.10	26.45	555.55
3	2016–17	3000	3668	272.10	551.10	27.60	578.7
4	2017–18	12000	8514	529.90	1740.18	87.00	1827.18
5	2018–19	4000	5945	1433.90	2295.20	91.80	2387.00
6	2019–20	4000	3269	3000.00	2101.96	1954.83	2101.96
7	2020–21	1750	5177	202.80	1534.11	133.40	1667.51
8	2021–22	11000	10666	599.00	5066.99	440.6078	5507.598
9	2022–23 माह जनवरी	3355	8810	440.40	5349.53	80.73	5430.26
कुल योग		**44605**	**51301**	**6592.02**	**19394.29**	**2853.718**	**20293.18**

5.5.2 कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार

घटक अंतर्गत शहरी गरीबों को विभिन्न पाठ्यक्रमों (कोर्स) में कौशल प्रशिक्षण प्रदाय कर रोजगार/स्वरोजगार उपलब्ध कराया जाता है।रोजगार एवं स्वरोजगार के लिए बाजार मांग को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण संपादित कराया जाता है। प्रशिक्षण तकनीकी एवं गैर–तकनीकी क्षेत्रों में किए जाते है। तकनीकी क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी, टेलीकॉम, आटो मोबाईल सेक्टर आदि आते है तथा गैर–तकनीकी क्षेत्र में ब्यूटीशियन, गारमेंट मेकिंग, रिटेल, नर्सिंग आदि आते है।

प्रमुख विशेषताऍं :

- न्यूनतम 200 घण्टे का कौशल प्रशिक्षण।
- भारत सरकार द्वारा अधिकृत शासकीय संस्थाओं ''एन.सी.व्ही.टी एवं सेक्टर स्किल कॉउन्सिल'' के माध्यम से प्रशिक्षणार्थियों का प्रमाणीकरण।
- कम से कम 70% प्रशिक्षित हितग्राहियों को रोजगार/स्वरोजगार में नियोजन।
- प्लेसमेंन्ट उपरांत 12 माह तक हितग्राहियों की ट्रेकिंग एवं वित्तीय सहायता प्रदान करना।

प्रगति

क्र.	वर्ष	लक्ष्य	कुल प्रशिक्षित हितग्राही	नियोजित हितग्राही	नियोजन के प्रकार
1	2	3	4	5	6
1	2014—15	40000	1118	373	सूचना प्रौद्योगिकी, रिटेल, गारमेंट मैंकिग, नर्सिंग, बैंकिंग और अकाउन्टिग, ब्यूटिशियन, इलेक्ट्रानिक्स, आटोमोटिव, कन्सट्रक्शन, इलेक्ट्रिशियन, वूड वर्क, सिक्योरिटी, ट्यूरिज्म, टैलीकॉम इत्यादि
2	2015—16	40000	48535	9582	
3	2016—17	40000	40843	40035	
4	2017—18	49000	20620	5701	
5	2018—19	25000	45624	30420	
6	2019—20	41000	17722	5783	
7	2020—21	29900	22341	2523	
8	2021—22	52000	12407 (प्रशिक्षित) 73449(प्रशिक्षणरत)	2743	
9	2022—23 माह जनवरी	3355	8885(प्रशिक्षित) 75023 (प्रशिक्षणरत)	11790	
कुल योग		**320255**	**205688**	**108950**	

5.5.3 स्वरोजगार कार्यक्रम

घटक अंतर्गत हितग्राहियों को लघु उद्यमिता विकास, स्वरोजगार स्थापना, वित्तीय पोषण एवं उद्यमिता आधारित सेवायें, तकनीकी एवं बाजार व्यवस्था उपलब्ध करायी जाती है :—

- घटक अंतर्गत व्यक्तिगत हितग्राहियों को अधिकतम 2.00 लाख रूपये तक ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ऋण अंतर्गत 7 प्रतिशत से अधिक ब्याज दर का भुगतान योजनांतर्गत अनुदान के रूप में हितग्राही के खाते में डीबीटी के माध्यम से किया जाता है।

- समूह ऋण के रूप में अधिकतम 10.00 लाख रूपये तक दिये जाने का प्रावधान है। ऋण अंतर्गत 7 प्रतिशत से अधिक ब्याज दर का भुगतान योजनांतर्गत अनुदान के रूप में हितग्राही के खाते में डीबीटी के माध्यम से किया जाता है।

- स्व सहायता समूहों का बैंक लिंकेज किया जाता है। ऋण अंतर्गत 7 प्रतिशत से अधिक ब्याज दर का भुगतान योजनांतर्गत अनुदान के रूप में हितग्राही के खाते में डीबीटी के माध्यम से किया जाता है। स्व सहायता समूहों को नियमित भुगतान पर 3 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान दिया जाता है।

प्रगति

क्र.	वर्ष	लक्ष्य	लाभान्वित हितग्राही	कुल वितरित ऋण राशि (रू. लाख में)	
				ऋण राशि	ब्याज अनुदान सहायता
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	2014–15	12000	3245	2432.65	11.30
2	2015–16	12000	14327	9730.42	56.59
3	2016–17	12000	15466	1177.63	101.27
4	2017–18	30000	19570	16892.38	272.19
5	2018–19	16000	14393	15948.54	146.00
6	2019–20	10000	4859	5256.15	605.19
7	2020–21	5050	2111	2337.00	480.65
8	2021–22	12250	9019	10697.69	561.93
9	2022–23 माह जनवरी	2349	8197	11094.11	117.29
कुल योग		**111649**	**90935**	**75010.29**	**2346.6**

5.5.4 क्षमता संवर्धन एवं प्रशिक्षण

घटक अंतर्गत राज्य स्तर पर स्टेट मिशन मैनेजमेंट यूनिट तथा निकाय स्तर पर सिटी मिशन मैनेजमेंट यूनिट का गठन किया गया है। राज्य स्तर पर वर्तमान में **02 राज्य मिशन प्रबंधक**, निकाय स्तर पर **74 सिटी मिशन प्रबंधक** तथा **378 सामुदायिक संगठक** कार्यरत हैं।

5.5.5 शहरी पथ विक्रेताओं की सहायता

घटक अंतर्गत शहरी पथ विक्रेताओं को अपनी वस्तुओं के विक्रय हेतु बाजार उपलब्ध कराना तथा उचित स्थान यथा– हाकर्स कार्नर निर्माण व संधारण का प्रावधान है। पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण, पहचान पत्र तैयार करना, वेन्डर्स जोन बनाना, वेंडर मार्केट निर्माण करना, स्वरोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत रोजगार स्थापित कराना, पथ विक्रेताओ को कौशल विकास प्रशिक्षण के अंतर्गत 1 से 2 दिन का प्रशिक्षण प्रदान करना एवं सामाजिक सुरक्षा सहायता उपलब्ध कराना। **9.39 लाख पथ**

विक्रेताओं का सर्वेक्षण किया गया है एवं **9.14 लाख को परिचय पत्र/विक्रय प्रमाण पत्र** वितरित किये जा चुके हैं।

5.5.6 शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजना

दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक शहरी बेघरों के लिये आश्रय अंतर्गत आश्रय स्थल का निर्माण 01 लाख से अधिक आबादी वाले शहर एवं पर्यटन, ऐतिहासिक एवं धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण शहरों में किया जाना है।

आश्रय स्थल में गरीबों को बुनियादी सुविधाओं जैसे हवादार कमरे, पलंग, गद्दा, तकिया, चादर, स्वच्छ पेयजल, पर्सनल लॉकर, मनोरंजन की सुविधा हेतु टी.वी., अखबार, पुस्तकें प्राथमिक उपचार किट, स्नानागार एवं शौचालय की सुविधा के साथ गर्मी के मौसम में बेघरों की सुविधा के लिए कूलर व वाटर कूलर की भी व्यवस्था की जाती है।

शीत ऋतु में ठंड में बचाव हेतु अलाव की व्यवस्था एवं सुरक्षा की दृष्टि से सी.सी.टी.वी. कैमरे भी लगाये जाते है।

वर्तमान में मध्यप्रदेश राज्य के 51 जिला मुख्यालयों व 1 लाख से अधिक आबादी वाले 4 नगरीय निकाय डबरा, इटारसी, नागदा एवं पीथमपुर अंतर्गत 119 आश्रय स्थल संचालित है।

शहरी गरीब व बेघर लोगों का ध्यान रखते हुए राज्य सरकार द्वारा निवाड़ी, सिरोंज, चित्रकूट, ओमकरेश्वर, महेश्वर, जबलपुर, साँची, अमरकंटक, भोपाल, खुरई, मंडीदीप, देवास, जावरा, नसरुल्लागंज, मलाजखण्ड, दमोह, मैहर, आरौन, राघौगढ़ एवं ओरछा अंतर्गत आश्रय स्थल निर्माण हेतु 20 आश्रय स्थलों के लिये कुल राशि रूपये 1269.19 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।

वित्तीय व्यवस्था

योजनांतर्गत केंद्र सरकार की 60 प्रतिशत तथा राज्य सरकार 40 की प्रतिशत हिस्सेदारी है।

5.6 पीएमस्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना (पीएम स्वनिधि)

कोविड–19 महामारी के दौरान शहरी नगरीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रभावित वर्ग पथ विक्रेताओं को 10,000 रुपये की कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान किये जाने हेतु भारत सरकार के द्वारा पीएम **स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना (पीएम स्वनिधि)** जुलाई 2020 से प्रारंभ की गई है।

5.6.1 उद्देश्यः–

1. रु. 10,000,रू.20,000 एंवरू.50,000 तक की कार्यशील पूंजी ऋण की सहायता।
2. नियमित भुगतान को प्रोत्साहित करना।
3. डिजिटल लेन–देन को बढ़ावा देना।

योजना से शहरी पथ विक्रेताओं को उपरोक्त उद्देश्यों से परिचित होने में मदद मिलेगी और इस क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने के लिए नए अवसर प्राप्त होंगे।

5.6.1 लाभार्थियों के लिए पात्रता मापदंड

यह स्कीम 24 मार्च, 2020 को एवं इससे पूर्व शहरी क्षेत्रों में वेंडिग कर रहे सभी पथ विक्रेताओं के लिए उपलब्ध है। पात्र विक्रेताओं की पहचान निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार की जाएगी :

1. ऐसे पथ विक्रेता जिनके पास शहरी स्थानीय निकायों द्वारा जारी किया गया सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग/पहचान पत्र है।
2. ऐसे विक्रेता जिन्हें सर्वेक्षण में चिह्मित कर लिया गया है परंतु सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग/पहचान पत्र जारी नहीं किया गया है।

योजना के ऐसे विक्रेताओं को अनंतिम सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग (प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग) आईटी आधारित प्लेटफॉर्म के माध्यम से सृजित किया जाएगा। शहरी स्थानीय निकायों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वे ऐसे विक्रेताओं को सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग एवं पहचान पत्र तत्काल एवं एक माह की अवधि के भीतर अनिवार्य रूप से जारी करें।

5.6.2 योजना अंतर्गत लाभ

1. पात्र पथ विक्रेताओं को कार्यशील पूंजी ऋण 10 हजार, 20 हजार एवं 50 हजार रूपये
2. भारत सरकार द्वारा ब्याज अनुदान सहायता 7 प्रतिशत दिया जाता है।
3. 7 प्रतिशत के अतिरिक्त शेष ब्याज अनुदान राज्य शासन द्वारा देय होता है।
4. डिजीटल पेमेन्ट पर कैशबैक का प्रावधान (प्रतिमाह 100 रूपये) है।
5. योजना अवधि जुलाई 2020 से मार्च 2024 तक है।

5.6.3 प्रगतिः—

पीएम स्वनिधि योजना प्रथम चरण (10 हजार रूपये ऋण राशि) अंतर्गत 5.21 लाख शहरी पथ विक्रेताओं को राशि रु. 521.67 करोड़ एवं द्वितीय चरण (20 हजार रूपये ऋण राशि) अंतर्गत 125 लाख शहरी पथ विक्रताओं को राशि रूपये 249.50 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया गया है। पी.एम स्वनिधि योजना के तृतीय चरण (50 हजार रूपये ऋण राशि) अंतर्गत 4862 लाख शहरी पथ विक्रताओं को राशि रूपये 24.02 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया गया है। पी.एम स्वनिधि योजनांतर्गत 2.45 लाख शहरी पथ विक्रेताओं द्वारा डिजीटली लेन—देन किया जा रहा है। एवं आज

दिनांक तक 4.24 करोड़ रू का कैशबैक प्राप्त हुआ है। योजनांतर्गत 7% ब्याज अनुदान भारत सरकार एवं शेष ब्याज अनुदान राज्य शासन के द्वारा वहन किया जा रहा है।

6 दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना–द्वितीय चरण

6.1 उददेश्यः–

राज्य के गरीब एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को सस्ती दरों पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के उददेश्य से राज्य के नगरीय क्षेत्रों में "दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना" संचालित की जा रही है।

6.2 **कार्यक्षेत्रः–**

"दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना" प्रथम चरण में 51 जिला मुख्यालयों में 56 केन्द्रों पर 07.04. 2017 से आरम्भ की गई। द्वितीय चरण अंतर्गत रसोई योजना का विस्तारण 52 जिला मुख्यालयों व 6 धार्मिक नगरियों मैहर, ओमकारेश्वर, महेश्रवर, अमरकंटक, ओरछा व चित्रकूट अंतर्गत कुल 100 रसोई केन्द्रों का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 26 फरवरी, 2021 को सम्पन्न किया जायेगा।

6.3 **योजना अन्तर्गत लाभः–**

योजना के माध्यम से नगरीय क्षेत्रों में व्यवसाय एवं श्रम कार्यों हेतु ग्रामीण क्षेत्रों से गरीब परिवारों के सदस्यों को स्वच्छ, सस्ता एवं पौष्टिक भोजन दस रूपये प्रति व्यक्ति की दर से दोपहर के समय उपलब्ध कराया जायेगा।दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजनांतर्गत दिन का भोजन दर रूपये 10/– प्रति व्यक्ति के हिसाब से प्रदान किया जा रहा है। रसोई केन्द्रों के संचालन हेतु 5/– रूपये प्रति थाली के हिसाब से अनुदान दिया जाता है। साथ ही 1 रू. प्रति किलो के मान से `कच्चा राशन उपलब्ध कराया जाता है।

6.4. प्रगति :–

- दिनांक 26 फरवरी, 2021 से दिनांक 07 मार्च, 2022 तक 1 करोड़ से अधिक लोगों को रसोई केन्द्रों के माध्यम से भोजन वितरित किया गया है।
- लॉकडाऊन के दौरान दिनांक 01 अप्रैल, 2021 से दिनांक 27 जून, 2021 तक 27.19 लाख लोगों को रसोई योजना के माध्यम से भोजन वितरित किया गया।
- ''दीनदयाल अन्त्योदय रसोई योजना'' अंतर्गत संचालित 100 रसोई केन्द्रो में 2022–23 में 71 लाख 28 हजार 690 थाली भोजन लोगों को उपलब्ध कराया गया।

(ब) राज्य योजनाएं

1. <u>मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना</u>

2.1 प्रदेश के शहरों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिये मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना वर्ष 2012 से प्रांरभ की गई है। योजना के अंतर्गत 50,000 से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के लिये

परियोजना लागत का 20 प्रतिशत एवं 50,000 से कम जनसंख्या वाले शहरों के लिये परियोजना लागत का 30 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा अनुदान दिया जाता है। शेष 80 प्रतिशत एवं 70 प्रतिशत राशि की पूर्ति नगरीय निकायों द्वारा ऋण लेकर की जाती है, जिसमें ऋण का 75 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा एवं 25 प्रतिशत नगरीय निकाय द्वारा भुगतान किये जाने की व्यवस्था है।

2.2 निकायों द्वारा ऋण हुडको से लिया जायेगा जिसकी प्रतिभूति राज्य शासन द्वारा राशि रू. 1000.00 करोड़ की प्रदान की गई है। इसी प्रकार बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं से ऋण लिये जाने हेतु भी राशि रू. 500.00 करोड़ एवं 260.24 करोड़ की अतिरिक्त शासकीय प्रत्याभूति प्रदान की गई है। इस प्रकार इस योजना हेतु कुल राशि रू. 1760.24 करोड़ की शासकीय प्रत्याभूति प्रदान करने की स्वीकृति प्राप्त है। योजना अन्तर्गत वर्तमान में 154 नगरीय निकायों की कुल योजना राशि रू. 2091.42 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में 54 नगरों की पेयजल योजना के लिये अनुदान राशि रू. 132.25 करोड़, वर्ष 2013–14 में राशि रू. 90.00 करोड़, वर्ष 2014–15 में प्रावधानित राशि रू.139.00 करोड़ एवं वर्ष 2015–16 में राशि रू. 76.00 करोड़ एवं वर्ष 2016–17 में राशि रू. 106.92 करोड़, वर्ष 2017–18 में राशि रू. 27.70 करोड़, वर्ष 2018–19 में राशि रू. 4.41 करोड़, वर्ष 2019–20 में राशि रू. 7.20 करोड़ एवं वर्ष 2020–21 में राशि रू. 2.06 करोड़ नगरीय निकायों को जारी किया गया है। वर्तमान तक स्वीकृत 154 नगरीय निकायों में से 135 नगरीय निकायों की पेयजल योजनाओं का कार्य पूर्ण, 17 नगरीय निकायों में योजना का कार्य प्रगति पर है तथा शेष 02 नगरीय निकायों में योजना के क्रियान्वयन की कार्यवाही प्रचलित है।

2. 2. मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना

राज्य शासन द्वारा नगरीय निकायों में अधोसंरचना विकास के लिए मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना 2012 से प्रारंभ की गई है। योजना के अंतर्गत नगरीय क्षेत्रों में सड़क, शहरी यातायात, सौन्दर्यीकरण, सामाजिक अधोसंरचना विकास एवं उद्यान, धरोहर संरक्षण आदि कार्य कराया गया है।

2.1 प्रथम चरण –

योजना के प्रथम चरण अंतर्गत लागत रू. 1428.00 करोड़ थी, जिसमें 30 प्रतिशत राशि राज्य शासन द्वारा अनुदान के रूप में उपलब्ध करायी गयी है एवं शेष 70 प्रतिशत राशि की पूर्ति नगरीय निकायों द्वारा हुडको से ऋण लेकर की गयी है।इस ऋण का 75 प्रतिशत राशि का पुनर्भुगतान राज्य शासन द्वारा 15 वर्षों में ब्याज की राशि सहित एवं शेष 25 प्रतिशत राशि का पुनर्भुगतान ब्याज की राशि सहित 15 वर्षों में नगरीय निकायों द्वारा किया जाना प्रावधानित है। योजना पूर्ण हो चुकी है।

2.2 द्वितीय चरण –

मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना का द्वितीय चरण,रू. 1519.00 करोड़ वर्ष 2016 में स्वीकृति हुई। योजना में स्वीकृत राशि का 20% अनुदान के रूप में राज्य

शासन द्वारा एवं 80% प्रतिशत, ऋण के रूप में मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी के माध्यम से राष्ट्रीयकृत बैंको द्वारा नगरीय निकायों को उपलब्ध कराया जा रहा है। ऋण का 75 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा 15 वर्षों में ब्याज की राशि सहित एवं शेष 25 प्रतिशत ब्याज की राशि सहित 15 वर्षों में नगरीय निकायों द्वारा पुर्नभुगतान किये जाने की व्यवस्था है।

योजना के द्वितीय चरण अंतर्गत 382 परियोजनाएं स्वीकृत हैं, जिसमें 11 नगरो को मिनी स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित कराने का कार्य भी इसी योजना के तहत किया जा रहा है। योजनांतर्गत 382 परियोजनाओं में से 237 परियोजनाओं में कार्य पूर्ण हो चुके हैं, तथा शेष 145 परियोजनाओं में कार्य प्रगतिरत हैं।

1.3 तृतीय चरण

मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना तृतीय चरण की स्वीकृति मंत्रि–परिषद के आदेश दिनांक 16.01.2020 से रू. 536.00 करोड़ की प्रदान की गई है। योजना को मंत्रि–परिषद के आदेश दिनांक 26.02.2021 से 04 वर्षों के स्थान पर 02 वर्षो के लिये पुनरीक्षित किया गया है। योजना में स्वीकृत राशि का 20 प्रतिशत अनुदान के रूप में राज्य शासन द्वारा एवं 80 प्रतिशत राशि ऋण के रूप में म.प्र. अर्बन डवलपमेंट कंपनी के माध्यम से नगरीय निकायों को उपलब्ध कराया जाना प्रावधानित है। ऋण का 75 प्रतिशत अंश एवं इसमें लगने वाले ब्याज का पुनर्भुगतान राज्य शासन द्वारा तथा शेष 25 प्रतिशत अंश एवं उसमें लगने वाले ब्याज का पुनर्भुगतान नगरीय निकायों द्वारा किया जाना है।

योजना के अंतर्गत नगरीय निकायों में निम्नानुसार कार्य कराये जा रहे है –

- निकायों की आय वृद्धि के लिए आवश्यक अधोसंरचना कार्य।
- सड़कों को पक्का किया जाना एवं नालियों का निर्माण।
- पार्कों तथा हरित क्षेत्रों का विकास।
- स्टार्म वाटर ड्रेन का निर्माण।
- स्मार्ट रोड बनाने का कार्य।
- नवगठित एवं अन्य नगरीय निकायों में अधोसंरचना विकास कार्य।

योजना में निकायों की पात्रता निम्नानुसार है :–

(राशि रु. करोड़ में)

स.क्र.	निकाय	प्रति निकाय	कुल राशि	राज्य का अंशदान 20%	वित्तीय संस्थाओं से ऋण 80%
1	**नगर पालिक निगम**				
	भोपाल एवं इन्दौर	10.00	20.00	4.00	16.00
	ग्वालियर एवं जबलपुर	08.00	16.00	3.20	12.80
	उज्जैन	06.00	6.00	1.20	4.80

	शेष 11 नगर निगम	03.00	33.00	6.60	26.40
2	नगर पालिका(above 1.00 lakh) 17 Nos.	02.00	34.00	6.80	27.20
	नगर पालिका (Below 1.00 lakh) 81Nos.	01.50	121.50	24.30	97.20
3	नगरपरिषद 264 Nos.	0.75	198.00	39.60	158.40
4	नवगठित निकायें		30.00	30.00	0.00
5	राज्य शासन की घोषणायें		71.50	14.30	57.20
6	प्रशिक्षण एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु थर्ड पार्टी		6.00	6.00	0.00
	कुल योग		**536.00**	**136.00**	**400.00**

वर्तमान में योजनांतर्गत कुल 405 निकायों में 428 परियोजनाओं हेतु कुल राशि रू. 527.50 करोड़ स्वीकृत की गई है। कुल स्वीकृत परियोंजनाओं में से 36 परियोजनायें पूर्ण हो चुकी हैं एवं शेष परियोजनाओं में कार्य प्रगतिरत है।

मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण योजना

मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण योजना राज्य शासन के आदेश क्र. एफ–10–07/2022/18–2 दिनांक 20.05.2022 से 02 वर्षों (2022–23 एवं 2023–24) के लिये लागत रू. 800.00 करोड़ की स्वीकृत की गई है। योजनांतर्गत राज्य शासन द्वारा चिन्हित अधोसंरचना विकास के विभिन्न कार्य स्वीकृत किये जाते है। वित्त वर्ष 2022–23 में विभिन्न नगरीय निकायों के लिये कुल राशि रू. 388.57 करोड़ के कार्य स्वीकृत किये जाकर प्रगतिरत हैं।

3. झीलों एवं तालाबों के संरक्षण एवं संवर्धन

4.1 माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वर्ष 2012 में प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली झीलों एवं तालाबों को प्रदूषण मुक्त करने संबंधित निर्देश दिये गये थे। इसी के अनुपालन में प्राथमिकता के आधार पर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में स्थित झीलों एवं तालाबों को प्रदूषण मुक्त करने तथा इसके संरक्षण, संवर्धन एवं विकास कार्य हेतु एक कार्ययोजना बनाने के लिये नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को नोडल एजेंसी घोषित किया गया। प्रदेश के नगरीय निकायों में झीलों एवं तालाबों के बेहतर संरक्षण हेतु माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा झीलों एवं तालाबों का संरक्षण एवं विकास प्रारंभ करने की घोषणा की गई, जिसके अनुक्रम में दिनांक 13.01.2014 को विभाग द्वारा योजना के क्रियान्वयन के संबंध में निति का निर्धारण कर अनुमोदन किया गया। योजना का वित्तीय पोषण निर्धारित किया गया हैः–

क्र.	निकाय प्रकार	राज्य शासन द्वारा दिये जाने वाले अनुदान का प्रतिशत	निकाय का अंश
1	नगर निगम	60%	40%
2	नगर पालिका	75%	25%
3	नगर परिषद्	90%	10%

4.2 योजना के अंतर्गत नगरीय क्षेत्रों में झीलों एवं तालाबों की सीमा में होने वाले कटाव को रोकने संबंधी कार्य, झीलों एवं तालाबों के आसपास बाउंड्री वॉल बनाना, सघन वृक्षारोपण तथा लॉन विकसित करना, पेवमेंट, लैम्प तथा फव्वारों की स्थापना, अपशिष्ट जल को रोकने/शोधन हेतु किफायती प्रयास जैसे रूटझोन ट्रीटमेंट व्यवस्था, झील एवं तालाबों के किनारे नाली/सीवर पाईप द्वारा अपशिष्ट जल को रोकना, संबंधित कार्य किये जाना निर्धारित किया गया है।

4.3 झीलों एवं तालाबों के संरक्षण एवं विकास योजना अंतर्गत वर्ष 2013–14 से वर्ष 2022–23 तक 41 नगरों की योजनायें राशि रू. 104.46 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई। स्वीकृत योजनाओं को पूर्ण करने के लिये नगरीय निकायों को निर्धारित अनुपात में राज्यांश राशि रू. 73.90 करोड़ का अनुदान जारी किया जा चुका है। योजनांतर्गत लगभग 16 नगरीय निकायों के झीलों एवं तालाबों के संरक्षण कार्य पूर्णता की ओर है। शेष 25 नगरीय निकायों की योजनाओं के कार्य प्रगतिरत है।

4. <u>विशेष निधि से वित्त पोषित नगरों की सीवरेज परियोजना</u>

4.1 नर्मदा एवं अन्य महत्वपूर्ण नदियों में शहरी सीवरेज से होने वाले प्रदूषण को रोकने के दृष्टिगत सीवरेज परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिये वित्त व्यवस्था म. प्र. शासन के विशेष निधि के अंतर्गत प्रस्तावित की गई है।

4.2 परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित अधोसंरचना कार्यो में 07 नगरों में मलजल निस्तारण की योजना प्रस्तावित है।

4.3 प्रस्तावित मलजल निस्तारण एवं उपचार योजनाओं में नर्मदा नदी के किनारे स्थित 06 नगर क्रमशः बुधनी, नेमावर, अमरकंटक, डिंडोरी, मण्डलेश्वर, ओंकारेश्वर एवं इनके अतिरिक्त मंदाकिनी नदी के शुद्धीकरण हेतु चित्रकूट नगर सीवरेज परियोजनाओं में कार्य प्रगति पर है। योजना अंतर्गत 01 नगरीय निकाय की सीवरेज परियोजना के कार्य पूर्णता की ओर है। शेष 06 निकायों में कार्य प्रगतिरत है।

4.4 परियोजना की कुल लागत राशि रू. 185.00 करोड़ है।

4.5 योजना का क्रियान्वयन मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी द्वारा किया जा रहा है।

(स) <u>बाह्य सहायता प्राप्त योजनाएं</u>

1. <u>एशियन डेवलपमेंट बैंक से वित्त पोषित मध्यप्रदेश नगरीय सेवाओं का उन्नयन कार्यक्रम</u>

1.1 अन्य वित्तीय स्त्रोतों से छूटे हुए 130 नगरीय क्षेत्रों में मुख्यतः जलप्रदाय तथा पर्यटन/धरोहर/धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण 10 नगरों में सीवरेज व्यवस्था एवं उपचार की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये एशियन डेवलपमेंट बैंक से ऋण सहायता लेते हुए मध्यप्रदेश नगरीय सेवाओं का उन्नयन कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है।

1.2 परियोजना के अंतर्गत कुल 130 नगरों की जलप्रदाय योजनाएं प्रस्तावित हैं, जिसमें प्रथम चरण में 64 नगरों की जलप्रदाय योजनाएं तथा द्वितीय चरण में शेष 66 नगरों की जलप्रदाय योजनाएं ली जा रही है। साथ ही परियोजना के प्रथम चरण में 4 नगरीय निकायों तथा द्वितीय चरण में 5 नगरीय निकायों की मलजल निस्तारण एवं उपचार योजनाएं प्रस्तावित हैं।

1.3 परियोजना की कुल अनुमानित लागत राशि रू. 5400 करोड़ अर्थात् 765 मिलियन यू.एस.डॉलर है। परियोजना में सम्मिलित नगरों को 30 प्रतिशत राज्य का अनुदान तथा 70 प्रतिशत एशियन डेवलपमेंट बैंक से ऋण उपलब्ध होगा।

1.4 एशियन डेवलपमेंट बैंक से प्राप्त ऋण के 75 प्रतिशत अंश एवं उसके ब्याज का पुनर्भुगतान राज्य शासन द्वारा तथा शेष राशि एवं ब्याज का पुनर्भुगतान संबंधित निकाय द्वारा किया जाएगा।

1.5 योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत 64 नगरीय निकायों की जलप्रदाय योजना एवं 4 मलजल योजना की डीपीआर तैयार की गई। एशियन डेवलपमेंट बैंक से अनापत्ति प्राप्त कर 22 पैकेजों के अंतर्गत

64 नगरीय निकायों की जलप्रदाय एवं पैकेज के अंतर्गत 4 निकायों की मलजल की व्यवस्था हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई है। इनमें 26 पैकेजों के कार्यादेश (कुल लागत लगभग राशि रू. 2538.27 करोड़) साधिकार समिति सह कार्यकारी समिति के अनुमोदन उपरांत विभिन्न ठेकेदार फर्मों को जारी कर दिये गये हैं। योजनांतर्गत 02 नगरीय निकायों की परियोजना पूर्ण एवं जलप्रदाय प्रारंभ किया जा चुका है, तथा 9 नगरीय निकायों की जलप्रदाय परियोजनाओं का ट्रायल रन किया जा रहा है।

1.6 योजना के द्वितीय चरण के अंतर्गत 67 नगरीय निकायों की जलप्रदाय योजना एवं 5 मलजल योजना की डी.पी.आर. तैयार की गई है। एशियन डेवलपमेंट बैंक से अनापत्ति प्राप्त कर 34 पैकेजों में से सभी 34 पैकेजों के अंतर्गत 67 नगरीय निकायों की जलपद्राय व्यवस्था हेतु निविदा आमंत्रित की गई है। इनमें 27 पैकेजों के कार्यादेश (कुल लागत लगभग राशि रू. 1402.20 करोड़) साधिकार समिति सह कार्यकारी समिति के अनुमोदन उपरांत विभिन्न ठेकेदार फर्मो को जारी कर दिये गये है। मलजल योजना के 4 पैकेजों (5 नगरीय निकायों) की निविदायें आमंत्रित की गई हैं, जो मूल्यांकन प्रक्रियाधीन है।

1.7 म. प्र. नगरीय सेवाओं का उन्नयन कार्यक्रम के अंतर्गत क्रियान्वित किए जाने वाले कार्यो के पर्यवेक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रबंधन के लिये पीएमसी (परियोजना प्रबंधन सलाहकार फर्म) फर्म मेसर्स टाटा कसंलटिंग इंजीनियर्स लि. का चयन कर फर्म के साथ अनुबंध निष्पादित किया गया है। फर्म के द्वारा अपना कार्यालय स्थापित कर कार्य किया जा रहा है।

1.8 एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ दिनांक 19 जून 2017 को प्रथम चरण का ऋण अनुबंध निष्पादित किया जा चुका है। परियोजना का क्रियान्वयन म. प्र. अर्बन डेवलपमेंट कंपनी के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया अनुसार किया जा रहा है।

1.9 एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ द्वितीय चरण हेतु दिनांक 12 अक्टूबर 2020 को ऋण अनुबंध निष्पादित किया है। परियोजनाओं का क्रियान्वयन म. प्र. अर्बन डेवलपमेंट कंपनी के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया अनुसार किया जा रहा है।

1.10 म. प्र. नगरीय सेवाओं का उन्नयन कार्यक्रम के अंतर्गत क्रियान्वित किये जाने वाले कार्यो के पर्यवेक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण के लिये पी.एम.डी.एस.सी. (परियोजना प्रबंधन आकल्पन एवं पर्यवेक्षण सलाहकार) फर्म स्मैक इंटरनेशनल पी.टी.वाई.लि. व स्मैक इंडिया प्रा. लि. (जेवी) को नियुक्त किया गया है।

2. विश्व बैंक से वित्त पोषित मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट परियोजना

2.1 नर्मदा एवं अन्य महत्वपूर्ण नदियों में शहरी सीवरेज से होने वाले प्रदूषण को रोकने की दृष्टि से सीवरेज परियोजनाओं पर कार्य करने के लिये एवं अन्य महत्वपूर्ण वित्तीय स्त्रोंतों से छूटे हुये नगरों की जलप्रदाय योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये विश्व बैंक के वित्त पोषण (ऋण) से मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्रस्तावित किया गया है।

2.2 परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित अधोसंरचना कार्यो में 7 नगरों में मलजल निस्तारण एवं उपचार तथा 3 नगरों में जलप्रदाय योजना क्रियान्वित है। जिसमें एक नगर की सीवरेज परियोजना पूर्ण हो गई है।

2.3 प्रस्तावित मलजल निस्तारण योजनाओं में नर्मदा नदी के किनारे एवं नर्मदा नदी को सीधे प्रभावित करने वाले 4 नगर क्रमशः भेड़ाघाट, नसरूल्लागंज, महेश्वर, धरमपुरी तथा 3 अन्य महत्वपूर्ण नगर क्रमशः शाजापुर, छिंदवाड़ा, शहडोल सम्मिलित हैं। धरमपुरी नगर की सीवरेज योजना पूर्ण हो गई है।

2.4 जलप्रदाय योजना बुरहानपुर, खरगौन एवं सेवढा में प्रगतिरत है।

2.5 परियोजना की कुल लागत राशि रू. 1080 करोड़ (166.00 मिलियन यू.एस. डॉलर) है। परियोजना में सम्मिलित नगरों को 30 प्रतिशत राज्य सरकार का अनुदान एवं 70 प्रतिशत विश्व बैंक से ऋण उपलब्ध होगा।

2.6 विश्व बैंक से प्राप्त ऋण का 75 प्रतिशत अंश एवं उसके ब्याज का पुनर्भुगतान राज्य शासन द्वारा तथा शेष राशि एवं ब्याज का पुनर्भुगतान संबंधित निकाय द्वारा किया जाएगा।

2.7 विश्व बैंक के साथ दिनांक 12 जून 2017 को अनुबंध निष्पादित किया जा चुका है।

2.8 परियोजना का क्रियान्वयन मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया अनुसार किया जा रहा है।

3. **के.एफ.डब्ल्यू. बैंक से वित्त पोषित मध्यप्रदेश अर्बन सेनिटेशन एंड एंवायरमेंट प्रोग्राम**

3.1 प्रदेश की प्रमुख नदियों को प्रदूषण से बचाने एवं पर्यावरण उन्नत करने के लिये सीवरेज परियोजनाओं का क्रियान्वयन के.एफ.डब्ल्यू. बैंक से वित्त पोषित मध्यप्रदेश अर्बन सेनिटेशन एंड एंवार्यमेंट प्रोग्राम प्रगतिरत है।

3.2 योजना के अंतर्गत नर्मदा नदी के किनारे एवं नर्मदा नदी को सीधे प्रभावित करने वाले 5 नगरों क्रमशः होशंगाबाद, नरसिंहपुर, मंडला, बड़वानी एवं सेंधवा मे मलजल निस्तारण एवं उपचार प्रगतिरत है।

3.3 परियोजना की कुल लागत राशि रू. 525 करोड़ (75 मिलियन यूरो) है। परियोजना में सम्मिलित नगरों को 30 प्रतिशत राज्य सरकार का अनुदान तथा 70 प्रतिशत के.एफ.डब्ल्यू. बैंक से ऋण उपलब्ध होगा।

3.4 के.एफ.डब्ल्यू. बैंक के साथ दिनांक 01 दिसम्बर 2017 को अनुबंध किया जा चुका है।

3.5 योजना का क्रियान्वयन मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया अनुसार किया जा रहा है।

(द) अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं/कार्यक्रम

आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश 2023 के रोडमैप

1. संछिप्त विवरण

2023 रोडमैप - आत्मानिर्भर मध्य प्रदेशअंतर्गत विभाग द्वारा भौतिक अधोसंरचना समूह में 36 पुट के मधायम से कुल-आउट 18 कम अंतर्गत-आउट 5 गतिविधियों को सम्मिलित किया गया है। नगरीय विकास एवं आवास विषय संबंधी अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन कुल गतिविधियों को -उप 121 तक तीन 2023 से दिसंबर 2020 दिसंबर वर्ष के अंतराल में पूर्ण किये जाने हेतु लक्षित किया गया है।

- **पाँच आउट कम में प्रमुख रूप से-समावेशी शहरी विकास अंतर्गत शहरी गरीबों के उत्थान की रोजगारमूलक योजनाओं के साथ उनके कौशल विकास को प्रमुखता से शामिल किया गया है। तीन लाख शहरी गरीबों को आवास प्रदाय एवं किराये के आवास मुहैया करने तथा रात्रिकालीन आश्रयों के सुदृढ़ीकरण हेतु लक्षय रखा गया है।**
- **पर्यावरण सहयोगी संवहनीय विकास के अंतर्गत प्रदेश के शहरों में साफ सफाई, सीवरेज तथा वायु गुणवत्ता के विषयों को समेकित किया गया है।**

- शहरी सुशासन की रणनीति मुख्य रूप से नियमों और अधिनियमों में व्यापक सुधार प्रस्तावित कर नगरीय निकायों की आर्थिक स्थिति को सुदृण करने के उपायों पर केंद्रित है।
- इसी अनुक्रम में शहरी सेवा प्रदाय गुणवत्ताके आउटकम अंतर्गत सूचना - प्रौधोगिकी का उपयोग कर जनसामान्य को सहज एवं पारदर्शी सेवायें उपलब्ध कराने का प्रयास किये जाने हेतु लक्ष्य निर्धारित किये गए हैं।
- शहरी जलप्रदाय एवं वर्षाजल निकास के मानक मानदण्डों को प्राप्त करने तथा बस आधारित जनमैप में लक्षित -परिवहन के विस्तार हेतु भी रोड- किया गया है।
- विभाग द्वारा नगरीय नियोजन के अंतर्गत GIS आधारित मास्टर प्लान तैयार किये जाने,TOD/TDR को लागू किये जाने तथा भवन निर्माण अनुमति के साथ टाउन प्लानिंग की ईसेवाओं का एकीकरण हेतु लक्ष्य - नियत किये गये है।

2. अल्पकालीन लक्ष्यों के अनुरूप विभागीय क्रियान्वयन की स्थिति-
आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश रोडअंतर्गत प्रस्तावितलक्ष्यों के अनुरूपविभाग 2023 मैप- द्वारादिसंबर से 2020दिसबंर 2022 तक की कालावधि में विभिन्न गतिविधियों व उपगतिविधियों में विभाग द्वारा की गई प्रगति का विवरण - निम्नानुसार है;

विषय नगरीय विकास : एवं आवास	उपगतिविध-ियां (121)									
आउट-कम (5) आउट-पुट (18)	अल्पकालीन (तक 2021 मार्च)			मध्यकालीन (तक 2022 मार्च)			दीर्घकालीन (तक 2023 दिसंबर)			कुल
	कुल	पूर्ण	प्रचलित	कुल	पूर्ण	प्रचलित	कुल	पूर्ण	प्रचलित	
1. समावेशी शहरी विकास (10)	17	17	0	8	8	0	1 1	7	4	36
2. पर्यावरण सहयोगी संवहनीय विकास(7)	10	9	1	7	4	3	7	3	4	24

3. नगरीय सुशासन हेतु कानूनी और राजकोषी सुधार(8)	12	12	0	4	2	2	4	2	2	21
4. शहरी सेवा प्रदाय (9)	15	14	1	9	6	3	10	4	6	33
5. नगरीय नियोजन के माध्यम से शहरी अर्थव्यवस्था में सुधार (2)	3	3	0	2	2	0	2	1	1	7
कुलगतिविधियाँ (36)	57	55	2	30	22	08	34	17	17	121

- **पाँच आउट कम के अंतर्गत-सभी पुट में कार्य प्रारम्भ-आउट 18 किया गया हैं।**
- **सभीगतिविधियों पर कार्य प्रारम्भ 36 कर अल्पकालीन 01 तथा 08 मध्यकालीन गतिविधियों अंतर्गत कार्यवाही पूर्ण की गई है।**
- **121 उपगतिविधियों के व-िरुद्ध 121 उपगतिविधियों पर कार्यवाही प्रारम्भ-।**
- **अल्प में से 57 कालीन लक्ष्यों के अंतर्गत-55 उप %100 गतिविधियों में कार्य-पूर्ण हो गया है तथा शेष 02 उपगतिविधियों के क्रियान्वयन में COVID काल में हुई कठिनाइयों को दूर करते हुए जून20 जुलाई-23 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।**
- **मध्य कालीन लक्ष्यों के अंतर्गत 30 में से 22 उप %100 गतिविधियों में कार्य-पूर्ण हो गया है तथा शेष 08 उपगतिविधियों के क्रियान्वयन को 2023 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।**
- **दीर्घकालीन लक्ष्यों के अंत-र्गत 34 में से 17 उप %100 गतिविधियों में कार्य-पूर्ण हो गया है तथा शेष 17 उपगतिविधियों के क्रियान्वयन को 2023 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।**

2. नगरीय क्षेत्रों में विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये विशेष निधि

5.1 विभाग के बजट से विभिन्न मदों की राशि सामान्यतः नगरीय निकायों को निर्धारित मापदण्ड अनुसार अर्जित पात्रता के आधार पर दी जाती है। इस कारण नगरीय निकायों को राज्य शासन द्वारा विशेष आवश्यकताओं, आकस्मिक प्रयोजनों एवं अपूर्ण जल प्रदाय योजनाओं को पूर्ण करने के लिये राशि देने में कठिनाई होती थी। उक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए विशेष निधि का गठन किया गया है।

5.2 इस निधि के परिचालन के लिये ''म.प्र. के नगरीय क्षेत्रों में विशेष आवश्यकताओं एवं आकस्मिक प्रयोजनों के लिये राशि के उपयोग के नियम, 2006'' बनाये गये है।

5.3 वर्ष 2022–23 में विशेष निधि मद में विभिन्न विशेष प्रयोजनों के लिये राशि रू. 312.31 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसके विरूद्व जनवरी, 2023 तक राशि रू. 183.90 लाख नगरीय निकायों को उपलब्ध कराई गई है।

छोटे एवं मझोले शहरों के लिए शहरी अधोसंरचना विकास योजना (UIDSSMT)

1.1 भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2005 में छोटे एवं मझौले शहरों के अधोसंरचनात्मक विकास के उद्देश्य से यूआईडीएसएसएमटी योजना प्रारंभ की गई है।

1.2 योजना के अंतर्गत परियेाजना लागत की 80 प्रतिशत राशि भारत सरकार से केन्द्रीय सहायता के रूप में प्राप्त होती है, जिसके विरूद्व राज्यांश 10 प्रतिशत एवं निकाय अंश 10 प्रतिशत देय होता है।

1.3 योजना के अन्तर्गत परियोजनाओं के चयन, उनके क्रियान्वियन, पर्यवेक्षण, अनुश्रवण से संबंधित कार्यो के क्रियान्वयन के लिये मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय साधिकार का गठन किया गया है।

1.4 संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को यूआईडीएसएसएमटी योजना के लिये राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी मनोनीत है।

1.5 योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा 31 मार्च, 2014 तक रू. 2849.36 करोड़ राशि की 114 नगरों की 178 परियोजनायें (पेयजल, सड़क, सीवरेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन) स्वीकृत की गई है। इसमें से 169 परियोजनाओं (96 जलप्रदाय, 69 सड़क एवं 04 सीवरेज) का कार्य पूर्ण हो चुका है।

3 मध्यप्रदेश अर्बन डेवलेपमेंट कंपनी लिमिटेड

3.1 राज्य शासन की शत प्रतिशत अंश पूंजीधारित मध्यप्रदेश अर्बन डेवलेपमेंट कंपनी लिमिटेड का गठन 27 अप्रैल, 2015 को किया गया है।

3.2 मध्यप्रदेश अर्बन डेवलेपमेंट कंपनी लिमिटेड में माननीय मुख्यमंत्री जी को चेयरमेन तथा माननीय मंत्रीजी नगरीय विकास एवं आवास विभाग एवं मुख्य सचिव को कंपनी का वाइस चेयरमेन नियुक्त किया गया है।

3.3 आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास को कंपनी का प्रबंध संचालक तथा अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास को कंपनी का अतिरिक्त प्रबंध संचालक नियुक्त किया गया है।

3.4 कंपनी के कार्यों को विस्तार देते हुए राज्य शासन द्वारा कंपनी को न केवल नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का दायित्व सौंपा गया है, बल्कि बड़ी परियोजनाओं के क्रियान्वयन का भी उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

3.5 नगरीय निकायों में बाह्य वित्त पोषित परियोजनाओं जैसे, विश्व बैंक, एशियन विकास बैंक तथा केएफडब्ल्यू इत्यादि द्वारा वित्त पोषित योजनाओं के क्रियान्वयन का कार्य कंपनी द्वारा किया जा रहा है। इस प्रकार कंपनी के माध्यम से पेयजल, सीवेज

परियोजनाओं के कार्यों का क्रियान्वयन किए जाने का निर्णय राज्य शासन द्वारा लिया गया है।

3.6 इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कंपनी की 13 परियोजना क्रियान्वयन ईकाईयों का गठन किया जा रहा है।

3.7 स्मार्ट सिटी योजना हेतु चयनित नगरों में गठित स्पेशल परपज व्हीकल (SPV) कंपनियों को मध्यप्रदेश अर्बन डेवलेपमेंट कंपनी लिमिटेड की Subsidary Company बनाया गया है।

4 मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

4.1 राज्य शासन द्वारा प्रदेश के भोपाल एवं इंदौर शहरों में मेट्रो रेल परियोजना क्रियान्वित किए जाने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार भोपाल तथा इंदौर मेट्रो रेल परियोजनाओं को पब्लिक इनवेस्टमेंट बोर्ड (PIB) द्वारा दिनांक 11.09.2018 को अनुमोदित किया गया एवं केन्द्रीय मंत्रि–परिषद द्वारा दिनांक 03.10.2018 को स्वीकृति प्रदान की गई है। मेट्रो रेल परियोजना क्रियान्वित किए जाने के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही संपादित की जा चुकी हैः–

4.1.1 भारत सरकार, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय (Ministry of Housing and Urban Affairs- MoHUA) द्वारा जारी परियोजनाओं की स्वीकृति के नियमों एवं शर्तों के साथ भोपाल एवं इंदौर मेट्रो रेल परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है।

4.1.2 भोपाल तथा इंदौर मेट्रो रेल परियोजनाओं के स्वीकृति पत्रों दिनांक 30.11.2018 में प्रदर्शित परियोजनाओं की वित्त व्यवस्था के अनुसार भोपाल मेट्रो रेल परियोजना की लागत रू. 6941.40 करोड़ तथा इंदौर मेट्रो रेल परियोजना की लागत रू. 7500.80 करोड़ है।

4.1.3 भोपाल मेट्रो रेल परियोजना के अंतर्गत दो कॉरीडोरों का जिनकी कुल स्वीकृत लंबाई 27.87 किलोमीटर है एवं इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के अंतर्गत एक रिंग कॉरीडोर जिसकी कुल स्वीकृत लंबाई 31.55 किलोमीटर है का अनुमोदन अनुसार क्रियान्वयन किया जा रहा है।

4.1.4 भोपाल मेट्रो रेल परियोजना के वित्त पोषण हेतु European Investment Bank (EIB) को तथा इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के वित्त पोषण हेतु Asian Development Bank (ADB) तथा New Development Bank (NDB) को Pose किया गया है।

4.1.5 भोपाल एवं इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन हेतु DB Engineering and Consulting GmbH in consortium with Louis Burger SAS & Geodata Engineering S.p.A. को जनरल कंसल्टेंट चयनित किया गया है।

4.1.6 भारत सरकार, मध्यप्रदेश सरकार एवं मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कॉ. लिमि. के मध्य त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन दिनांक 19.08.2019 को निष्पादित किया गया।

4.1.7 भोपाल मेट्रो रेल परियोजना हेतु EIB Board द्वारा दिनांक 14.11.2019 को वित्तीय पोषण हेतु ऋण स्वीकृत किया जा चुका है। इंदौर मेट्रो रेल परियोजना हेतु NDB Board द्वारा दिनांक 02.12.2019 को वित्तीय पोषण हेतु ऋण स्वीकृत किया जा चुका है।

4.1.8 मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन को भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन के संयुक्त उपक्रम के रूप में पुनः गठित दिनांक 29.12.2020 को किया गया।

4.1.9 भोपाल मेट्रो रेल परियोजना एवं इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के प्राइयोरिटी कॉरिडोर के सभी सिविल पैकेजों के कार्यादेश जारी किये जाकर कार्य प्रगति पर है।

4.1.10 दोनों परियोजनाओं के लिए आवश्यक सिस्टम पैकेजों की निविदाएं भी आमंत्रित कर ली गई हैं।

4.2 भोपाल के लिए अनुमोदित मेट्रो रेल परियोजना का विवरण निम्नानुसार हैः–

कॉरिडोर	**कॉरिडोर का विवरण**	**लगभग लम्बाई (किमी)**	**लगभग लागत (करोड़ में)**
Purple Line	करोंद चौराहा – भोपाल टॉकिज – रेल्वे स्टेशन – भारत टॉकिज – पुल बोगदा – सुभाष नगर अंडर पास – डी.बी. मॉल–बोर्ड ऑफिस चौराहा – हबीबगंज नाका – अल्कापुरी बस स्टेंड – एम्स	14.99	4406.57
Red Line	डिपो चौराहा–जवाहर चौक–रोशनपुरा चौराहा––मिंटो हॉल–लिली टॉकिज–जिंसी चौराहा–पुल बोगदा–प्रभात चौराहा–अप्सरा टॉकिज–गोविंदपुरा इन्डस्ट्रीयल एरिया–रत्नागिरी तिराहा	12.88	2534.83
	कुल	**27.87**	**6941.40**

4.3 इंदौर के लिए अनुमोदित मेट्रो रेल परियोजना का विवरण निम्नानुसार हैः–

कॉरिडोर	कॉरिडोर का विवरण	लगभग लम्बाई (किमी)	लगभग लागत (करोड़ में)
Yellow Line	ननोद – सुपर कॉरिडोर – भंवरसाला चौराहा – एम. आर. टेन फ्लाईओवर – विजय नगर चौराहा – रेडिसन चौराहा – बंगाली चौराहा – पलासिया चौराहा – राजवाड़ा – बड़ा गणपति – कलानी नगर– एयरपोर्ट – ननोद	31.53	7500.80
	कुल	**31.53**	**7500.80**

4.4 स्वीकृति के अनुसार परियोजना का वित्त पोषण निम्नवत होगाः–

स. क्र.	परियोजना का नाम	कुल लागत	विभिन्न संस्थाओं का अंशदान/योगदान			रिमार्क
			भारत सरकार	राज्य सरकार/ MPMRCL (यथा प्रयोज्य)	बाह्य एजेंसी	
1.	भोपाल मेट्रो रेल परियोजना	रू. 6941.40 करोड़	रू. 1164.44 करोड़	रू. 1843.62 करोड़	रू. 3493.34 करोड़ (EIB ऋण)	रू. 440.00 करोड़ PPP Component
2.	इंदौर मेट्रो रेल परियोजना	रू. 7500.80 करोड़	रू. 1276.36 करोड़	रू. 1955.33 करोड़	रू. 3200.00 करोड़ (ADB एवं NDB ऋण)	रू. 440.00 करोड़ PPP Component

5 प्रदेश के बड़े शहरों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के संबंध में शासन की पहल

5.1 प्रदेश के शहरों में पार्किंग को व्यवस्थित करने एवं नवीन पार्किंग संस्कृति के विकास हेतु राज्य शहरी पार्किंग नीति के साथ पार्किंग नियम बनाए जाने की कार्यवाही प्रचलन में है।

5.2 प्रदेश के अमृत योजना अतर्गत 15 शहरों (भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, देवास, खण्डवा, बुरहानपुर, भिण्ड, मुरैना, गुना, जबलपुर, कटनी, सतना, रीवा, सिंगरौली एवं छिंदवाड़ा) में 1111 बसों (शहरी मार्गों–751 एवं अन्तर्शहरी मार्गों–360) का संचालन किया जा रहा है।

5.3 इंदौर शहर में 40 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जा रहा है।

5.4 प्रदेश के शहरों में इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन को बढ़ावा दिये जाने हेतु भोपाल (63), इंदौर (123), जबलपुर (31), शहरों में कुल 117 इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लगाये जाने की प्रक्रिया प्रचलन में है।

5.5 प्रदेश की DUTF योजना के अंतर्गत जारी की गई राशि के द्वारा फुट ओवरब्रिज, रोड ओवरब्रिज, बस टर्मिनल, बस स्टेण्ड, पार्किंग, लोक परिवहन एवं यातायात को लोकप्रिय बनाने हेतु प्रचार–प्रसार, आधुनिक तकनीकी संस्थापन जैसे– सी.सी.टी.व्ही. कैमरा, जी. पी.एस., ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन, फुटपॉथ निर्माण आदि कार्य किये जा रहे है।

5.6 प्रदेश के 15 शहरों में अमृत योजना अन्तर्गत बस सेवा संचालन के द्वारा बसों में यात्रियों की सुविधाओं के लिए ITMS उपकरण (GPS, कैमरा, यात्री सूचना तंत्र एवं महिलाओं की सूचना के लिए पैनिक बटन इत्यादि) एवं कन्ट्रौल कमाण्ड सेंटर द्वारा सभी बसों की निगरानी सुनिश्चित की जा रही है।

5.7 नगरीय निकायों के अधीनस्थ बस स्टेण्डों पर रेलवे की भाँति बसों के आने–जाने की उद्घोषणा की व्यवस्था की गई है।

5.8 वर्ष–2021 में चिन्हित 11 ब्लैक स्पॉट में से 8 पर अल्पकालीन परिशोधन की कार्यवाही की गई।

5.9 प्रदेश के शहरों में सुव्यवस्थित विज्ञापन लगाए जाने हेतु मध्यप्रदेश आउटडोर मीडिया विज्ञापन नियम बनाए गए। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने हेतु इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी तैयार की गई।

6. शहरी सुधार कार्यक्रम

प्रदेश के नगरीय निकायों प्रणाली में सुधार कर पारदर्शिता लाने तथा कार्यक्षमता में वृद्धि करने हेतु ''शहरी सुधार कार्यक्रम योजना'' लागू की गई है, जिसे परियोजना परीक्षण समिति के अनुमोदन से विभाग के पत्र क्रमांक 3844/2013/18–2/2820, दिनांक 12.12. 2013 से स्वीकृती प्रदान की गई है। योजना के अर्न्तगत सम्मिलित प्रमुख घटक तथा उनकी प्रगति निम्नानुसार है :–

द्विप्रविष्टीय लेखा प्रणाली		
1.	नगरीय निकायों की लेखा प्रणाली के संभूति आधारित द्विप्रविष्टीय लेखा प्रणाली में परिवर्तन करना।	341 निकायों में कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा 37 निकायों में कार्य प्रगति पर है। नवगठित 35 निकायों में निविदाएं आमंत्रित करने की कार्यवाही प्रचलन में है।
जी.आई.एस.		
2.	जी.आई.एस. आधारित मानचित्र तैयार कर संपत्तिकर के दायरे तथा वसूली में वृद्धि किया जाना।	• जी.आई.एस. आधारित बहुउद्देशीय पारिवारिक सर्वेक्षण कार्य अन्तर्गत सभी 413 मे से 328 नगरीय निकायों का

		आधार मानचित्र कार्य पूर्ण। • 413 नगरीय निकायो में से ही 215 (नगर निगम मुरैना को सम्मिलित करते हुये) नगरीय निकायो का सम्पति सर्वेक्षण कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं 105 नगरीय निकायों में कार्य प्रगति पर है। शेष 78 नगरीय निकायो के जी.आई. एस. आधारित बहुउद्देशीय पारिवारिक सर्वेक्षण कार्य हेतु निविदाएं आमंत्रित किये जाने की प्रक्रिया प्रचलन में है। • नगर निगम भोपाल एवं इन्दौर में कार्य पूर्ण एवं 13 नगर निगमों में कार्य प्रगति पर है।

7 करों के संग्रहण हेतु प्रोत्साहन पुरूस्कार योजना

7.1 राज्य शासन द्वारा प्रदेश के नगरीय निकायों को राजस्व संग्रहण के लिये प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रोत्साहन पुरस्कार योजना अन्तर्गत अनुदान राशि प्रदान की जाती है। राजस्व वसूली में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली निकायों को प्रोत्साहन अनुदान दिया गया है।

- नगर पालिका परिषद (01 लाख से अधिक जनसंख्या) संवर्ग में होशंगाबाद, मंदसौर, विदिशा को क्रमश 30 लाख, 20 लाख, 15 लाख का पुरूस्कार प्रदान किया गया।
- नगर पालिका परिषद (01 लाख से कम जनसंख्या) संवर्ग में राधौगढ़, शाजापुर, मैहर को क्रमश 30 लाख, 20 लाख, 15 लाख का पुरूस्कार प्रदान किया गया।
- नगर पालिका परिषद (25,000 से अधिक जनसंख्या) संवर्ग में महूगांव़, राऊ, धामनोद, श्यामगढ़, मनासा को क्रमश 15.50 लाख, 10 लाख, 05 लाख, 05 लाख, 05 लाख का पुरूस्कार प्रदान किया गया।
- नगर पालिका परिषद (25,000 से कम जनसंख्या) संवर्ग में उचेहरा़, बड़कुही, बिरसिंहपुर, खजुराहो़, बडामलहरा को क्रमश 15.50 लाख, 10 लाख, 05 लाख, 05 लाख, 05 लाख का पुरूस्कार प्रदान किया गया।

(इ) कर्मचारी कल्याण योजनाएं

1. नगरीय निकायों के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये पेंशन योजना

1.1 विभाग द्वारा प्रदेश की नगरीय निकायों के अधिकारियों/कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करने के लिये मध्यप्रदेश नगर पालिका सेवा (पेंशन) नियम, 1980 बनाये गये हैं, जिसमें वर्णित प्रावधानों एवं विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार पेंशन प्रदान की जाती है।

1.2 योजना का संचालन संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास पदेन ''नियंत्रक पेंशन, स्थानीय निकाय'' नामांकित हैं। योजना के संचालन के लिये संचालनालय स्तर पर ''कंट्रोलर ऑफ पेंशन फार लोकल बाडीज मध्यप्रदेश'' के नाम से एक पृथक बैंक खाता खोला गया है, जिसमें पेंशन अंशदान की राशि जमा की जाती है।

1.3 योजना के संचालन के लिये वर्तमान में नगरीय निकायों को देय चुंगी क्षतिपूर्ति अनुदान से राशि काटकर पेंशन निधि में जमा की जा रही है।

1.4 प्रदेश की नगरीय निकायों के पेंशनरों को राज्य शासन के कर्मचारियों के समान पेंशन प्रदान की जा रही है। दिसम्बर 2022 की स्थिति में नगरीय निकायों के कुल 14350 सेवानिवृत्त कर्मचारी पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, जिस पर रूपये 25.50 करोड़ प्रतिमाह वित्तीय भार आ रहा है।

1.5 नगरीय निकायों के सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को उपदान की राशि का भुगतान भी उपरोक्त निधि से ही किया जा रहा है।

1.6 दिसम्बर 2022 की स्थिति में योजना के अंतर्गत पेंशन के कुल 1010 प्रकरण निराकृत किये गये, जिसमें उपदान के रूप में रूपये 51.11 करोड़ का भुगतान किया गया। साथ ही नियमित पेंशन भुगतान पर कुल रूपये 257.00 करोड़ का व्यय हुआ।

1.7 वर्तमान में प्रदेश की नगरीय निकायों के पेंशनरों को भारतीय स्टेट बैंक की भोपाल स्थित शाखा लिंक रोड़–1 के माध्यम से नियमित रूप से पेंशन का वितरण किया जा रहा है। साथ ही दिनांक 31.12.2014 के पश्चात् सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को भारतीय स्टेट बैंक की गोविंदपुरा, भोपाल स्थित केन्द्रीयकृत प्रक्रिया इकाई के माध्यम से पेंशन का वितरण किया जा रहा है।

1.8 प्रदेश के नगर पालिक निगम इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन एवं रतलाम अपने अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये स्वयं के स्तर पर पेंशन योजना संचालन कर रहे हैं।

2. राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS)

2.1 विभाग द्वारा राज्य शासन के शासकीय कर्मचारियों के समान ही प्रदेश की नगरीय निकायों/अधीनस्थ कार्यालयों में दिनांक 01.01.2005 अथवा उसके पश्चात् नियुक्त होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए ''राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS)'' लागू की गई है।

2.2 योजना के अंतर्गत NSDL (National Securities Depository Limited) द्वारा अधीनस्थ कार्यालयों एवं नगरीय स्थानीय निकायों को DTO Registration Number आवंटित किये गये हैं, जिस पर राष्ट्रीय पेंशन योजना से संबंधित समस्त सुविधाएं प्रदान की गई है।

2.3 NSDL द्वारा आवंटित किए गए DTO के User ID एवं Password के माध्यम से अधीनस्थ कार्यालयों एवं नगरीय स्थानीय निकायों में राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत नियुक्त हुए

सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को PRAN आवंटित किए जाते हैं तथा जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को PRAN आवंटित हो चुके हैं, उनके Data & Fund NSDL/NPS Trust को अंतरित किए जा रहे हैं।

3. मध्यप्रदेश नगरपालिका सेवक कर्मचारी–बीमा–सह–बचत योजना, 2014

3.1 विभाग द्वारा प्रदेश के नगरपालिका सेवकों के लिए पूर्व से लागू की गई परिवार कल्याण निधि योजना, 1987 का पुनरीक्षण किया जाकर इसे अधिक लाभकारी बनाते हुए प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के समान ही मध्यप्रदेश नगरपालिका सेवक कर्मचारी–बीमा–सह– बचत योजना अक्टूबर, 2014 से लागू की गई है।

3.2 योजना का संचालन परिवार कल्याण निधि योजना, 1987 की भांति पूर्वानुसार ही संचालनालय द्वारा किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत यूनिट के आधार पर अधिकारियों/कर्मचारियों को मासिक अंशदान देना होता है। इस योजना के अंतर्गत अंशदान तथा बीमा मूल्य निम्नानुसार हैः–

अधिकारी/ कर्मचारी की श्रेणी	यूनिट की संख्या	यूनिट का मूल्य	अंशदान की राशि	बीमा मूल्य	बीमा धन	बचत राशि
1	2	3	4	5	6	7
चतुर्थ श्रेणी	1	100	100	1,25,000	35	65
तृतीय श्रेणी	2	100	200	2,50,000	70	130
द्वितीय श्रेणी	4	100	400	5,00,000	140	260
प्रथम श्रेणी	6	100	600	7,50,000	210	390

3.3 योजना के अंतर्गत सदस्य कर्मचारी की दुर्भाग्यवश मृत्यु होने पर परिवार के नामांकित सदस्य/वैध उत्तराधिकारी को बीमा राशि के साथ–साथ बचत निधि में जमा राशि भी ब्याज सहित भुगतान की जाती है, परन्तु कर्मचारी की सेवानिवृत्ति/सेवा से निकाले जाने/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति अथवा त्याग पत्र देने पर उसे केवल बचत निधि में जमा राशि भुगतान की जाती है।

3.4 दिसम्बर 2022 की स्थिति में योजना के अंतर्गत कुल 759 प्रकरण स्वीकृत किये गये, जिनमें कुल राशि रूपये 4.43 करोड़ का भुगतान किया गया।

4. सफाई कर्मचारियों के लिए समूह बीमा योजना, 1988

4.1 प्रदेश की नगरीय निकायों में कार्यरत नियमित सफाई कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा समूह बीमा योजना दिनांक 01.04.1988 से प्रारंभ की गई है।

4.2 उक्त योजना के अंतर्गत वर्तमान में प्रति हितग्राही रूपये 240.00 और राज्य शासन का अंशदान प्रति हितग्राही रूपये 720.00 वार्षिक निर्धारित किया गया है, जिसके अंतर्गत

सफाई कर्मचारी की सेवा में रहते हुए सामान्य मृत्यु की स्थिति में रूपये 1,00,000.00 और दुर्घटना जनित मृत्यु पर रू. 2,00,000.00 सफाई कर्मचारियों द्वारा नामांकित व्यक्तियों को भुगतान किया जाता है।

4.3 दिसम्बर 2022 की स्थिति में कुल 27 प्रकरणों में कर्मचारी की मृत्यु उपरांत नामांकित व्यक्तियों को कुल राशि रूपये 14.00 लाख का भुगतान किया गया।

5. आयोग एवं मण्डलों का गठनः–

1. म.प्र. शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा म.प्र. राज्य सफाई आयोग का गठन वर्ष 2008 में किया गया है ।
2. म.प्र. शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा वर्ष 2013 में म.प्र. राज्य केश शिल्पी/सिलाई कला/वस्त्र स्वच्छता मण्डल का गठन किया गया है।

6. प्रशिक्षण संस्थान

6.1 नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत वर्ष 2013 में स्थापित सुन्दरलाल पटवा, राष्ट्रीय नगर प्रबंध संस्थान (SPNIUM) द्वारा अपने सहयोगी संस्थाओं के माध्यम से नगरीय प्रशासन एवं विकास में कार्यरत् विभिन्न संवर्गो के लोक सेवकों एवं निर्वाचित जनप्रतिधियों के क्षमता संवर्धन (Capacity Building) हेतु आधारभूत एवं उन्मुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। साथ ही भारत सरकार की एकीकृत क्षमता संवर्धन परियोजना (Integrated Capacity Building Programme -ICBP) अंतर्गत भारत सरकार द्वारा सूचीबद्ध प्रशिक्षण संस्थानों से एमओयू संपादित कर महत्वपूर्ण मिशनों जैसें PMAY, SBM, SCM, AMRUT & NULM में व्यावसायिक एवं लक्ष्योन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कराया जाता है।

6.2 वर्ष 2022–23 अंतर्गत 01 जनवरी, 2022 से 31 दिसंबर, 2022 की स्थिति में संस्थान/प्रशिक्षण शाखा द्वारा ऑनलाईन एवं आवासीय 72 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर **2022** अधिकारियों तथा कर्मचारियों एवं **5085** नव निर्वाचित जन प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किया गया है।

6.3 **वर्ष 2022–23** के अंतर्गत भारत सरकार की ICBP परियोजना के अंतर्गत देश के प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे ESCI, Hyderabad, AIILSG New Delhi, IIHS Bengaluru. RS Tolia Nainital, ISPER Panchkula आदि के माध्यम से विभिन्न मिशनों के अंतर्गत 15 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर 358 अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है।

6.4 सुंदरलाल पटवा राष्ट्रीय नगर प्रबंधन संस्थान द्वारा वर्ष 2023–24 के लिये विभागीय प्रशिक्षण आवश्यकताओं एवं नगरीय विकास एवं आवास से संबंधित महत्वपूर्ण क्षेत्रों एवं विषयों को ध्यान में रखते हुए विभागीय प्रशिक्षण पंचाग तैयार किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें लगभग 100 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करते हुए लगभग 3000 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किये जाने का लक्ष्य है।

7. **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का कियान्वयन**

- संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय भोपाल में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का निराकरण करने के लिए

शाखा–17 का गठन किया गया है तथा सहायक लोक सूचना अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी की नियुक्ति की गई है।

- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत नगरीय प्रशासन एवं विकास के अधीन 475 लोक प्राधिकारी है, जिनमें 413 नगरीय निकाय, 52 डूडा कार्यालय, 9 संभागीय कार्यालय एवं संचालनालय शामिल है।
- वर्ष 2022 में 01 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत संचालनालय एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय में कुल 615 आवेदन प्राप्त हुये हैं, जिनमें 546 ऑफ लाईन एवं 69 ऑनलाईन आवेदन शामिल हैं। प्राप्त आवेदनों में से 474 आवेदनों का निराकरण किया गया है।
- वर्ष 2022 में 01 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत संचालनालय एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय में कुल 254 प्रथम अपील आवेदन प्राप्त हुये हैं, जिनका निराकरण किया गया है।
- संचालनालय, एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा 22 द्वितीय अपील प्रकरणों में मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत कर प्रकरणों का निराकरण किया गया है।

*****